

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(A Central University Established by an Act of Parliament of India in 2009)



Annual Accounts 2024-25

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
(A central university Established by an Act of Parliament of India in 2009)
CHERI-MANATU, DIST-RANCHI-835222
JHARKHAND

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(Amount in Rs)

SOURCES OF FUNDS	SCHEDULE	As at March 31,2025	As at March 31,2024
CORPUS/CAPITAL FUND	1	3,42,01,95,537.41	2,75,18,78,778.45
DESIGNATED/EARMARK/ENDOWMENT FUND	2	-	47,99,201.00
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	3	1,99,85,82,081.10	2,25,07,94,539.55
TOTAL		5,41,87,77,618.51	5,00,74,72,519.00
APPLICATION OF FUNDS			
FIXED ASSETS			
Tangible Assets	4	1,84,96,02,055.55	99,90,35,280.37
Intangible Assets	4	6,10,328.80	7,13,536.63
Capital Work in Progress	4	2,13,12,26,915.00	2,71,03,72,443.00
INVESTMENT FROM EARMARKED /ENDOWMENT FUND			
Long Term			
Short Term			
INVESTMENTS -OTHERS	6	-	-
CURRENT ASSETS	7	1,34,19,63,514.72	1,21,50,44,984.00
LOANS ADVANCES & DEPOSITS	8	9,53,74,804.87	8,23,06,275.00
TOTAL		5,41,87,77,618.94	5,00,74,72,519.00

FOR CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND


(Shri P.K. Panda)
Finance Officer


(Prof. K.B. Das)
Vice Chancellor

Place- Cheri Manatu, Ranchi
Date-25.06.2025

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
(A central university Established by an Act of Parliament of India in 2009)
CHERI-MANATU,DIST-RANCHI-835222
JHARKHAND
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Amount in Rs)

PARTICULARS	SCHEDULE	As at March 31,2025	As at March 31,2024
<u>INCOME</u>			
Academic Receipts	9	10,26,63,422.00	11,02,42,207.72
Grants /Subsidies	10	68,19,73,979.00	60,84,88,471.00
Income from Investments	11	4,91,50,919.00	2,60,01,435.00
Interest Earned	12	1,25,29,346.00	2,15,29,978.00
Other Income	13	30,32,789.76	10,22,332.15
Prior Period Income	14	2,65,791.00	13,20,413.00
TOTAL (A)		84,96,16,246.76	76,86,04,836.87
<u>EXPENDITURE</u>			
Staff Payments & Benefits (Establishment Expenses)	15	55,37,98,209.00	46,85,08,306.00
Academic Expenses	16	2,16,60,728.00	2,02,85,076.00
Administrative & General Expenses	17	7,61,30,274.60	6,89,23,788.20
Transportation Expenses	18	89,19,731.00	1,03,86,887.00
Repair & Maintenance	19	6,22,13,478.00	3,30,54,738.00
Finance Costs	20	17,864.00	1,12,151.40
Depreciation	4	10,51,22,454.00	6,94,92,537.82
Other Expenses	21	-	-
Prior Period Expenses	22	91,00,976.00	61,27,485.00
TOTAL (B)		83,69,63,714.60	67,68,90,969.42
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		1,26,52,532.17	9,17,13,867.45
Transfer to/ from Designated Fund		-	-
Building Fund		-	-
Others (Specify)		-	-
Balance being Surplus / (Deficit) carried to Capital Fund		1,26,52,532.17	9,17,13,867.45
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	23		
CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS	24		

FOR CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND


(Shri P.K. Panda)
Finance Officer


(Prof. K.B. Das)
Vice Chancellor

Place- Cheri Manatu, Ranchi
Date-25.06.2025

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND
(A central university Established by an Act of Parliament of India in 2009)
CHERI-MANATU,DIST-RANCHI-835222
JHARKHAND

SCHEDULE "1"TO "24" FORMING INTEGRAL PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

		(Amount in Rs.)	
SCHEDULE-1	CORPUS / CAPITAL FUND	2024-25	2023-24
Balance at the begining of the year		2,75,18,78,778.56	2,70,80,32,487.00
Add: Contribution towards Corpus/ Capital Fund			
Add: Grants from UGC, Government of India and State Government to the extent utilized for Capital Expenditure.		9,01,49,515.00	11,76,19,556.00
Add: Assets purchased out of Earmarked fund			
Add: Assets purchased out of Sponsered projects, where ownership vests in the Institution.			
Add: Assets donated / Gifts received		97,83,910.80	
Add: Assets Capitalised out of HEFA fund		55,57,30,801.00	
Add: Other Additions			
Add: Excess of Income over expenditure transferred from the Income & Expenditure.		1,26,52,532.06	9,17,13,867.34
[Deduct]: Adjustment as per Audit Observation			(16,54,87,132.00)
[Deduct]: Deficit transferred from the Income &Expenditure Account			
Balance at the Year End		3,42,01,95,537.41	2,75,18,78,778.56

SCHEDULE- 2		DESIGNATED/ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS		
	Fund Wise Break-up		Total	
	EARMARKED FUND	ENDOWMENT FUND	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a] Balance as at the beginning of the year	47,99,201.00	-	47,99,201.00	38,12,500.00
b] Add: Addition to the Fund		-	-	-
i) Donation / Grants		-	-	47,99,201.00
ii) Income from investments made of the funds	-	-	-	-
iii) Accrrued interest on investments of the funds	-	-	-	-
iv) Other additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	47,99,201.00	-	47,99,201.00	86,11,701.00
c) Utilisation/Expenditure toward objective of fund				
i) Capital Expenditure				
> Fixed Assets	47,99,201.00	-	47,99,201.00	-
> Others	-	-	-	-
ii) Revenue Expenditure				
> Salaries, Wages Allowance etc.	-	-	-	-
> Rent	-	-	-	-
> Other Administrative Expenses	-	-	-	-
d) Unutilised amount refunded			-	38,12,500.00
TOTAL (C)	47,99,201.00	-	47,99,201.00	38,12,500.00
Net Balance as at the year end (a+b-c)	-		-	47,99,201.00
Represented by		-		
Cash & Bank Balance	-		-	-
Investments	-	-	-	-
Interest Accrued but not due	-	-	-	-
TOTAL	-		-	-

SCHEDULE -3		
	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS FOR EXPENSES	
	2024-25	2023-24
A. CURRENT LIABILITIES		
Deposits from Staff		
Deposits from Students	4,44,27,682.00	3,11,84,417.00
(University Hostel Library & Centre Caution Money Deposits)		
Sundry Creditors (Project Goods & Services, etc.)		
-For Good & Services	2,98,75,623.71	2,28,38,810.71
-Others	28,39,912.00	
Deposits -Others (Including EMD & SD)	15,92,11,604.99	14,51,20,441.00
Statutory Liabilities (PF, NPS, Proff. TAX ,TDS, WC Tax Royalty)		
-Overdue		
-Others	1,90,59,241.08	2,19,45,238.50
Other Current Liabilities		
-Salary /Remuneration	3,26,99,019.00	3,00,47,279.00
-Receipts against sponsored projects -3(a)	4,69,96,102.39	4,18,31,606.00
-Receipts against sponsored fellowship & sholarships -3 (b)	6,39,872.00	9,66,490.00
-Unutilized Grants - 3(c)	11,38,81,995.00	12,98,65,510.00
-Grants in Advance	73,31,30,899.00	1,04,91,66,247.00
-Other Funds -Special Funds payable/ unexpent(Secured Loan)	73,63,22,838.34	74,59,31,372.34
-Other Liabilities	13,59,002.00	15,19,557.00
TOTAL (A)	1,92,04,43,791.51	2,22,04,16,968.55
B. PROVISIONS		
-For Taxation		
-Gratuity	29,46,598.00	54,85,572.00
-Superannuation Fund	6,00,00,000.00	
-Accumulated Leave Encashment	2,29,165.00	26,58,804.00
-Trade Warranties / Claims		
-Others(Committed Expense & provision for unsettled claims)	1,49,62,526.59	2,22,33,195.00
TOTAL (B)	7,81,38,289.59	3,03,77,571.00
TOTAL (A+B)	1,99,85,82,081.10	2,25,07,94,539.55

SCHEDULE -3(a) SPONSORED PROJECTS		01.04.2024		RECEIPTS AND RECOVERIES DURING THE YEAR			EXPENDITURES DURING THE YEAR					31.03.2025	
Sl. no	NAME OF THE PROJECTS	Opening balance		CR.			DR.					CLOSING BALANCE	
		DR.	CR.	FUNDS GRANT RECIEVED	RECOVERED	TOTAL	REVENUE EXPENDITURE	CAPITAL EXPENDITURE	OVERHEADS CHARGE	ADVANCE PROVIDED	REFUND TO FUNDING AGENCY	DR.	CR.
I	SPONSORED PROJECTS												
A	UNIVERSITY GRANT COMMISSION												
	-MAJOR RESEARCH PROJECT (MRP)												
1	MRP DHARMENDRA SINGH -(IUAC)					-							
2	MRP GRANT B.P. SINHA		1,14,018.00			1,14,018.00	-		23,800.00				90,218.00
3	MRP PROJECT R.K. DEY		932.00			932.00							932.00
4	MRP KAVITA PARMAR (SERB)		11,426.00			11,426.00							11,426.00
5	MRP RAJ BAHADUR SINGH (SERB)		14,64,549.00	93,969.00		15,58,518.00	9,08,299.00		1,35,000.00				5,15,219.00
6	MRP PROJECT GAJENDRA PRASAD		2,446.00			2,446.00	-		2,446.00				-
7	MRP BASUDEV PRADHAN SERB		1,00,000.00			1,00,000.00							1,00,000.00
8	MRP PROJECT ENDANGER LANGUAGE		49,32,481.00			49,32,481.00	3,82,347.00	41,736.00					45,08,398.00
9	MRP PROJECT SAC ARVIND CHANDRA PANDEY		-			-							-
10	MRP R&D PILOT PROJECT AMIT KUMAR		2,78,818.00			2,78,818.00							2,78,818.00
11	MRP PROJECT ASHOK NIMESH		-			-							-
12	MRP SAC AVIRIS AMIT KUMAR	-	-			-						-	-
13	MRP SACGISAT ARVIND CHANDRA PANDEY	-	-			-						-	-
14	SERB BASUDEV PRADHAN FACULTY TRAVEL TO USA		-	6,13,140.00		6,13,140.00	6,13,140.00						-
15	MRP NISAR BIOMASS- AMIT KUMAR		-			-							-
16	MRP NISAR GEOLOGY- AC PANDEY		-			-							-
17	MRP PROJECT NISAR- BIKASH RANJAN PARIDA	-	-			-						-	-
18	MRP- RAJ BAHADUR SINGH		-			-							-
19	MRP ARCHIVAL & NON ARCHIVAL SEEMA MAMTA MINZ		33,000.00			33,000.00							33,000.00
20	CSR COE S K Samdarshi		-			-							-
21	MRP NIRMALI BORDOLI SERB EEQ		-	3,19,000.00		3,19,000.00	2,00,000.00		1,19,000.00				-
22	UGC STARTUP GRANT DR. BHUPENDRA SINGH		-			-							-
23	UGC DAE CSR INDORE S.K SAMDARSHI		8,57,623.00			8,57,623.00	8,16,489.00						41,134.00
24	MRP MOBILE PROJECT- DEVVRAT SINGH		58,533.00			58,533.00							58,533.00
25	MRP PROJECT (QUARKONIUM)- VINEET KUMAR AGOTIYA		-			-							-
	SUB- TOTAL	-	78,53,826.00	10,26,109.00	-	88,79,935.00	29,20,275.00	41,736.00	2,80,246.00	-	-	-	56,37,678.00
	-BASIC SCIENTIFIC RESEARCH (BSR)												
1	BSR VINEET KUMAR AGOTIYA		-			-							-
2	BSR PARTHA GHOSE		-			-							-
3	BSR PURABI SAIKIA		-			-							-
4	BSR DHARMENDRA SINGH		-			-							-
5	BSR SACHIN KUMAR		1,71,249.00			1,71,249.00							1,71,249.00
6	BSR BHASKAR SINGH		-			-							-
7	BSR PALLAVI sharma		-			-							-
8	BSR UGC STARTUP RAMESH ORAON		2,69,451.00			2,69,451.00					2,69,451.00		-
9	BSR NIRMALI BORDOLI		-			-							-
10	MRP RESEARCH M RAMAKRISHNAN		84,932.00			84,932.00							84,932.00
11	INDIAN-JAPAN JOINT RESEARCH PROJECT DR. BASUDEV PRA		28,881.00			28,881.00							28,881.00
12	Research Award S.K. Choudhary 30-95/2016(SA-II)	6,68,993.00				(6,68,993.00)						6,68,993.00	
	SUB- TOTAL	6,68,993.00	5,54,513.00	-	-	(1,14,480.00)	-	-	-	-	2,69,451.00	6,68,993.00	2,85,062.00
	-UGC FRP												
1	UGC FRP - SANDEEP KUMAR CHOUDHURI	18,30,784.00				(18,30,784.00)						18,30,784.00	
2	UGC FRP - PARTHA GHOSH	8,37,232.00		8,37,232.00		-						-	
3	UGC FRP- PALLAVI KUMARI	42,09,698.00				(42,09,698.00)						42,09,698.00	
4	UGC FRP- SABYASACHI BHUNIA	16,90,556.00		16,90,556.00		-						-	
5	UGC FRP - BIKASH RANJAN PARIDA	16,30,779.00		16,30,779.00		-						-	
6	YSS PROJECT PARTHA GHOSH (SERB)	-				-						-	
7	YSS PROJECT DEBJIT DAS (SERB)	-				-						-	
8	STATUS DISTRIBUTION -PURABI SAIKIA (SERB)		93.00			93.00							93.00
9	FTYS - GAJENDRA PRASAD SINGH		-			-							-
10	UGC SUG -SANDEEP KUMAR CHOUDHURI		2,04,864.00			2,04,864.00							2,04,864.00
11	FRP Jayant Baral		3,00,000.00			3,00,000.00							3,00,000.00
	SUB- TOTAL	1,01,99,049.00	5,04,957.00	41,58,567.00	-	(55,35,525.00)	-	-	-	-	-	60,40,482.00	5,04,957.00

[illegible]

			-										-
C	OTHERS		-			-							-
1	ATAL FDP PROGRAMME		49,000.00			49,000.00							49,000.00
2	CCL CONSULTANCY PROJECT PROF. MANOJ KUMAR		1,080.00	28,24,540.00		28,25,620.00	20,28,518.00		3,05,920.00				4,91,182.00
3	CCL MINES PROJECT PROF. MANOJ KUMAR		6,48,320.00	14,56,461.00		21,04,781.00							21,04,781.00
4	CCL CONSULTANCY 03- PREC&MANAGEMENT PLAN			28,72,000.00		28,72,000.00							28,72,000.00
5	DR. R D MUNDA TRIBAL WELFARE RES (VIMAL KISHOR)		-	1,62,000.00		1,62,000.00							1,62,000.00
6	CSIR HENA FIRDUAS		-	3,91,667.00		3,91,667.00							3,91,667.00
7	DST FIST PROF. R.K DEY		-	91,00,000.00		91,00,000.00	34,00,000.00	33,00,000.00			24,16,949.00	16,949.00	-
8	DST FIST PROF. SARANG MEDHAKAR		-	1,63,88,000.00		1,63,88,000.00	81,94,000.00	35,65,440.00			46,28,560.00		-
9	DST SHRI PROF. A.C PANDEY		-	1,10,98,200.00		1,10,98,200.00	43,27,941.00	43,22,996.00	4,00,000.00		19,84,813.00		62,450.00
10	Dst Fist Project Prof. Manoj Kumar		-	53,51,858.00		53,51,858.00	26,75,929.00	17,89,798.00			8,86,131.00		-
11	DST STUTI MANOJ KUMAR		22,511.00			22,511.00							22,511.00
12	ICPR PROJECT DR. RABINDRANATH SHARMA		49,372.00			49,372.00	49,372.00						-
13	ICSSR 10 DAYS RESEARCH METHODOLOGY DR. KRITI BHASHWAR	1,50,000.00		1,50,000.00		-							-
14	ICSSR PROJECT DR. PRAGYA SHUKLA		16,603.00			16,603.00							16,603.00
15	ICSSR COLLABORATIVE RESEARCH DR. RAJASHREE PADHI		5,64,863.00			5,64,863.00	1,05,290.00						4,59,573.00
16	ICSSR DR. SHASHI SINGH		1,50,000.00			1,50,000.00	1,50,000.00						-
17	ICSSR PROJECT DR. BATESHWAR SINGH	1,82,894.00		2,45,394.00		62,500.00							62,500.00
18	ICSSR PROJECT- DR. SANHITA SUCHARITA (PMAY)		5,43,849.00			5,43,849.00	4,01,380.00	74,844.00					67,625.00
19	ICSSR PROJECT SEEMA MAMTA MINZ		2,75,000.00	3,30,000.00		6,05,000.00	3,02,520.00						3,02,480.00
20	ISRO- DMSP PROJECT-ARVIND CHANDRA PANDEY		8,72,356.00	6,05,775.00		14,78,131.00	5,57,885.00		4,00,000.00				5,20,246.00
21	MRP ASOLAMENDHA- DAM PROJECT BIRENDRA BHARTI		11,80,636.00	4,000.00		11,84,636.00							11,84,636.00
22	MRP DR. NITESH BHATIA CONSULTANCY TO M/S WOOL HOUSE		-			-							-
23	G 20 UNIVERSITY CONNECT PROGRAMME (RIS)		-			-							-
24	MRP WORLD TRIBE DAY ICPR		-			-							-
25	NATIONAL SEMINAR DCFS K.B SINGH	59,956.00				(59,956.00)					59,956.00		-
26	SERB-NPDF BENAZIR FATMA DLS		6,465.00	15,81,827.00		15,88,292.00	14,30,005.00		1,00,000.00				58,287.00
27	SERB CRG RAM KISHORE SINGH			31,40,700.00		31,40,700.00							31,40,700.00
28	SERB/ECR/2016-/000888 PALLAVI SHARMA			1,49,064.00		1,49,064.00	-				1,49,064.00		-
29	TRIBE HINDU CONTINUATION IN INDIA ICPR RAJANIKANT P		7,238.00			7,238.00							7,238.00
30	UGC STARTUP GRANT DR. BHUPENDRA SINGH		-	2,71,799.00		2,71,799.00	1,96,664.00				135.00		75,000.00
31	ARMED FORCES FLAG DAY		-			-							-
32	MRP GRANT -JEUTI BAROOAH (UNICEF)		1,818.00			1,818.00							1,818.00
33	MRP PROJECT AMIT KUMAR		1,20,414.00			1,20,414.00							1,20,414.00
34	Walter Bake		3,83,704.00			3,83,704.00							3,83,704.00
35	SIA AJAI SINGH		16,23,159.00			16,23,159.00							16,23,159.00
36	TANUSHREE KUNDU IFSFS STUDY OF TRIBAL COMMITTEE JH	-		7,75,000.00		7,75,000.00					-		7,75,000.00
37	NSS		17,27,663.00			17,27,663.00							17,27,663.00
38	MRP PROJECT ANVESHAN- AJAI SINGH		23,875.00			23,875.00							23,875.00
39	OTHER UNRECONCILED PROJECTS		63,72,842.46	1,32,584.00		65,05,426.46	82,854.00						64,22,572.46
40	PSYCHOLOGICAL STUDY OF TRIBES SHAMSHER ALAM		1,31,848.00			1,31,848.00	57,241.00						74,607.00
41	SHAMSHER ALAM CONTINUITY CHALLENGES AND CONFLUENCE			9,00,000.00		9,00,000.00							9,00,000.00
42	Rajnikant Pandey UPTDD project		1,42,178.00			1,42,178.00							1,42,178.00
43	SERB CRG PROJECT DR. BASUDEV PRADHAN		25,93,828.00			25,93,828.00	-	24,63,660.00					1,30,168.00
44	Seed Fund		28,98,782.59	17,18,315.00		46,17,097.59							46,17,097.59
45	SHASHI KUMAR MISHRA FOREIGN STUDIES		2,69,091.00	2,68,926.00		5,38,017.00	1,20,807.00		20,698.00				3,96,512.00
	SUB -TOTAL	3,92,850.00	2,06,76,496.05	5,99,18,110.00	-	8,02,01,756.05	2,40,80,406.00	1,30,53,078.00	12,05,920.00	-	1,00,65,652.00	76,905.00	2,93,89,247.05
	GRANT TOTAL	1,17,77,452.95	4,18,31,606.39	6,69,74,060.00	-	9,70,28,213.44	2,98,03,139.00	1,30,94,814.00	16,62,617.00	-	1,05,11,946.00	75,24,762.95	4,69,96,102.39

SCHEDULE-3 (b) SPONSORED FELLOWSHIP & SCHOLARSHIP													
Sl. no	NAME OF THE PROJECT	31.03.2024		TRANSACTIONS DURING THE YEAR								31.03.2025	
		OPENING BALANCES		CR.				DR.				CLOSING BALANCE	
		DR	CR	FUNDS GRANT RECEIVED	RECOVERED	TOTAL	REVENUE EXPENDITURE	CAPITAL EXPENDITURE	OVERHEADS CHARGE	ADVANCE PROVIDED	REFUND TO FUNDING AGENCY	DR.	CR.
1	ICSSR DOCTORAL FELLOWSHIP SATYA PRAKSH MISHRA (DEDS)		-			-							-
2	INSPIRE FELLOWSHIP STUTI		53,780.00			53,780.00							53,780.00
3	TANNUSHREE CSIR FELLOWSHIP		78.00			78.00							78.00
4	UGC JRF FELLOWSHIP	7,71,097.00				(7,71,097.00)						7,71,097.00	
5	MRP GRANT (A.N. MISHRA A)		6,561.00			6,561.00							6,561.00
6	MRP PROJECT (A.N. MISHRA AA)		20,000.00			20,000.00							20,000.00
7	POULOMI CHAKRABORTY DST INSPIRE FELLOWSHIP		55,200.00			55,200.00							55,200.00
8	SANDEEP KUMAR CHOUDHARY UGC DAE/CSR PROJECT		25,818.00			25,818.00							25,818.00
9	GATE SCHOLARSHIP		2.00			2.00							2.00
10	CSIR UGC JRF (ROSELEENA MINZ)	-	-			-						-	-
11	DST FELLOWSHIP PREET PRAKASH PDF		-	2,43,651.00		2,43,651.00	2,43,651.00						-
12	DST-INSPIRE FACULTY FELLOW, CUJ ANNESHA GHOSH			18,37,645.00		18,37,645.00	18,37,645.00						-
13	SERB-DOCTORAL FELLOWSHIP PRASHANT KUMAR-DEE		4,98,000.00	13,06,800.00		18,04,800.00	18,04,800.00						-
14	PRASHANT KUMAR ARYA ICSSR FELLOWSHIP		-	1,98,500.00		1,98,500.00							1,98,500.00
15	ICMR ARPITA JHA (RAJAKISHORE MISHRA)		2,97,051.00			2,97,051.00	2,37,118.00						59,933.00
16	ICSSR DOCTORAL FELLOWSHIP SHIMA SAHA		10,000.00	1,10,000.00		1,20,000.00	1,20,000.00						-
17	ICSSR DOCTORAL FELLOWSHIP SATYA PRAKSH MISHRA (DEDS)		-	2,40,000.00		2,40,000.00	1,30,000.00						1,10,000.00
18	ICSSR DOCTORAL FELLOWSHIP NEHA KUMARI		-	1,30,000.00		1,30,000.00	1,30,000.00						-
19	ICSSR DOCTORAL FELLOWSHIP SURAJ MINZ		-	2,40,000.00		2,40,000.00	1,30,000.00						1,10,000.00
20	INSPIRE FELLOWSHIP ANKIT ABHILASH SWAIN		-	6,41,793.00		6,41,793.00	6,41,793.00						-
21	INSPIRE FELLOWSHIP SUBHASHREE PATRA		-	6,60,800.00		6,60,800.00	6,60,800.00						-
	GRAND TOTAL	7,71,097.00	9,66,490.00	56,09,189.00	-	58,04,582.00	59,35,807.00	-	-	-	-	7,71,097.00	6,39,872.00

Schedule 3 (c) UNUTILIZED GRANTS FROM UGC, GOVERNMENT OF INDIA AND STATE GOVERNMENTS		
	Amount in INR	
	2024-25	2023-24
A. Plan Grants: Government of India		
Balance B/F	-	-
Add: receipts during the year	-	-
Total (a)	-	-
Less: Refunds	-	-
Less: Utilized for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilized for Capital Expenditure	-	-
Total (b)	-	-
Unutilized carried forward (a-b)	-	-
B. UGC Grants: Plan		
Balance B/F	12,98,65,510.00	(6,80,02,066.00)
Add: receipts during the year	11,61,00,000.00	31,54,87,132.00
Add: interest Earned		
Total (c)	24,59,65,510.00	24,74,85,066.00
Less: Refunds	4,19,34,000.00	
Less: Utilized for Revenue Expenditure		
Less: Utilized for Capital Expenditure	9,01,49,515.00	11,76,19,556.00
Total (d)	13,20,83,515.00	11,76,19,556.00
Grant Required carried forward (d-c)(only if +ve)		
Unutilized carried forward (c-d)(only if +ve)	11,38,81,995.00	12,98,65,510.00
C. UGC Grants: Non Plan		
Balance B/F		-
Add: receipts during the year		-
Total (e)		-
Less: Refunds		-
Less: Utilized for Revenue Expenditure		-
Less: Utilized for Capital Expenditure		-
Total (f)		-
Unutilized carried forward (e-f)		-
D. Grants from State Governments		
Balance B/F		-
Add: receipts during the year		-
Total (g)		-
Less: Refunds		-
Less: Utilized for Revenue Expenditure		-
Less: Utilized for Capital Expenditure		-
Total (h)		-
Unutilized carried forward (g-h)		-
Grand Total (A+B+C+D)	11,38,81,995.00	12,98,65,510.00

SCHEDULE- 4 (PLAN) FIXED ASSETS AND DEPRECIATION											(Amount in Rs)	
S. NO	ASSETS HEAD	Rate	Gross Block				Depreciation				Net Block	
			Opening Bal. as on 01.04.2024	Addition during the Period	Deletion during the Period	Closing Bal. as on 31.03.2025	Acc. Depreciation as on 01.04.2024	Depreciation for the Period	Depreciation Adjustment	Total Depreciation as on 31.03.2025	Bal. as on 31.03.2025	Bal. as on 31.03.2024
							-	-		-	1.00	1.00
1	Land -Free Hold	0.00%	1.00			1.00	-	-		-	1.00	1.00
2	Site Development (Temp. & Permanent Campus)	0.00%	15,43,990.00	5,89,983.00		21,33,973.00		-		-	21,33,973.00	15,43,990.00
3	Building (Temp.Campus/Permanent Camp)	2.00%	82,38,07,586.00	73,34,31,177.00		1,55,72,38,763.00	12,63,71,474.82	3,11,44,775.26		15,75,16,250.08	1,39,97,22,512.92	69,74,36,111.18
4	Roads & Bridges	2.00%	29,64,614.00			29,64,614.00	2,63,346.45	59,292.28		3,22,638.73	26,41,975.27	27,01,267.55
5	Tubewell & Water supply (Temp. Campus	2.00%	38,27,853.00			38,27,853.00	7,72,430.01	76,557.06		8,48,987.07	29,78,865.93	30,55,422.99
6	Sewerage & Drainage	2.00%	-			-	-	-		-	-	-
7	Electrical Installation & Equipment	5.00%	3,30,76,009.40	13,33,08,846.00		16,63,84,855.40	90,51,625.99	83,19,242.77		1,73,70,868.76	14,90,13,986.64	2,40,24,383.41
8	Plant & Machinery	5.00%	1,52,60,364.00	54,93,049.00		2,07,53,413.00	1,06,17,205.68	10,37,670.65	(25,515.00)	1,16,29,361.33	91,24,051.67	46,37,488.92
9	Scientific & Laboratory Equipments	8.00%	7,21,37,606.00	18,07,893.00		7,39,45,499.00	4,09,17,653.54	59,15,639.92	(10,56,514.00)	4,57,76,779.46	2,81,68,719.54	3,15,19,271.76
10	Office Equipments	7.50%	58,06,675.00	7,56,195.00		65,62,870.00	44,42,108.34	4,92,215.25		49,34,323.59	16,28,546.41	13,64,566.66
11	Audio Visual Equipments	7.50%	2,15,02,018.00	1,03,55,394.00		3,18,57,412.00	74,58,726.38	23,89,305.90	(93,211.60)	97,54,820.68	2,21,02,591.32	1,36,95,491.22
12	Computers & Peripherals	20.00%	8,23,64,487.00	4,24,93,703.00		12,48,58,190.00	5,45,61,580.40	2,49,71,638.00		7,95,33,218.40	4,53,24,971.60	2,78,02,906.60
13	Furniture, Fixture & Fitting	7.50%	23,17,41,630.60	62,41,853.00		23,79,83,483.60	9,10,35,936.10	1,78,48,761.27	(5,252.40)	10,88,79,444.97	12,91,04,038.63	14,06,56,672.50
14	vehicles	10.00%	1,59,05,606.00	18,31,464.00		1,77,37,070.00	94,94,110.75	17,73,707.00		1,12,67,817.75	64,69,252.25	64,11,495.25
15	Lib Books & Scientific Journals	10.00%	9,71,90,222.00	41,63,863.00		10,13,54,085.00	5,93,28,605.17	1,01,35,408.50		6,94,64,013.67	3,18,90,071.33	3,78,61,616.83
16	Others	10.00%	-			-	-	-		-	-	1,16,395.50
17	Audio visual studio	7.50%	62,08,200.00	1,46,55,041.00		2,08,63,241.00	-	15,64,743.08		15,64,743.08	1,92,98,497.93	62,08,200.00
	TOTAL (A)		1,41,33,36,862.00	95,51,28,461.00	-	2,36,84,65,323.00	41,43,14,803.63	10,57,28,956.94	(11,80,493.00)	51,88,63,267.57	1,84,96,02,055.55	99,90,35,281.37
18	Capital work in Progress		2,71,03,72,442.74	31,44,35,526.00	89,35,81,054.00	2,13,12,26,914.74	-	-	-	-	2,13,12,26,914.74	2,71,03,72,442.74
	TOTAL (B)		2,71,03,72,442.74	31,44,35,526.00	89,35,81,054.00	2,13,12,26,914.74	-	-	-	-	2,13,12,26,915.00	2,71,03,72,442.74
S. NO	INTANGIBLE ASSETS	RATE	Bal. on 31.03.2024	Addition during the Period	Deletion during the Period	Total 31.03.2025	Depreciation upto date	Depreciation for the Period	Depreciation Adjustment	Total Depreciation	Bal. on 31.03.2025	Bal. on 31.03.2024
19	Computer Software	40%	24,46,604.00	4,57,560.00	-	29,04,164.00	18,70,424.20	4,13,496.00	9,916.00	22,93,836.20	6,10,327.80	5,62,957.80
20	e -Journals	40%	81,08,804.00		-	81,08,804.00	79,58,224.94	1,50,578.06		81,08,803.00	1.00	1,50,579.06
21	Patents & Copyrights	9 years	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Total(C)		1,05,55,408.00	4,57,560.00	-	1,10,12,968.00	98,28,649.14	5,64,074.06	9,916.00	1,04,02,639.20	6,10,328.80	7,13,536.86
	TOTAL (A+B+C)		4,13,42,64,712.74	1,27,00,21,547.00	89,35,81,054.00	4,51,07,05,205.74	42,41,43,452.77	10,62,93,031.00	(11,70,577.00)	52,92,65,906.77	3,98,14,39,299.35	3,71,01,21,260.97

SCHEDULE-5	INVESTMENT FROM EARMARKED FUND	Amount		Amount
	-In Cental Government Securities	-		-
	-In State Government securities	-		-
	-Other Approved securities	-		-
	-Shares	-		-
	-Debentures & Bond	-		-
	-Term Deposit with Banks	-		-
	-Others(To be specified)	-		-
	TOTAL	-		-

SCHEDULE -6	INVESTMENTS--OTHERS	Amount		Amount
-In Central Government Securities		-		-
-In State Government Securities		-		-
-Other Approved Securities		-		-
- Shares		-		-
-Debentures & Bond		-		-
-Others (to be specified)		-		-
		-		-
	TOTAL	-		-

SCHEDULE -7	CURRENT ASSETS	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
1. Stock					
-Stores & Spares		-			
-Loose & Tools		-			
-Publications		-			
-Laboratory Chemicals consumables & glass wares		-			
-Building Materials		-			
-Electrical Materials		-			
-Stationery		-			
-Water Supply Materials		-			
2. Sundry Debtors					
-Debts Outstanding for a Period exceeding Six months		-			
-Others		-			
3. Cash and Bank Balance:					
A)With Scheduled Banks					
Savings Account					
RBI A/C NO. 10671301114		-		-	
PNB 7277000100013853 CUJ ALUMNI A/C		1,03,29,352.00		31,889.00	
PNB 7277000100013880 GUEST HOUSE A/C		7,15,908.51		3,67,818.51	
PNB 7277000100013905 CUJ OVER HEAD A/C		45,42,560.00		29,14,928.00	
PNB 7277000100014931 CUJ HOSTEL FEE A/C		1,60,31,216.00		96,401.00	
Punjab National Bank 7277000100006444		54,805.12		53,871.54	
PNB EVS CONSULTANCY A/C 7277000100013251		2,30,892.00		2,24,599.00	
Punjab National Bank 7277000100008372		2,35,965.00		12,552.00	
PNB NPS A/C 7277000100013066		89,15,132.00		1,09,77,731.00	
Punjab National Bank 7277000210000068		25,35,208.47		52,77,402.08	
Punjab National Bank 7277000100004002		(13,33,271.94)		54,574.66	
Punjab National Bank 72770001000002217		1,14,012.27		51,391.87	
Punjab National Bank 7277000110000014		52,418.62		53,224.62	
Punjab National Bank - Salary A/C 7277000100010236		4,58,94,858.03		6,20,39,176.03	
Punjab National Bank 7277000100006879		1,03,78,849.82		75,226.82	
Punjab National Bank-REC- 7277000100006860		9,83,502.55		(28,12,712.30)	
Punjab National Bank-NS- 7277000100004659		18,91,551.90		20,82,114.90	
Indian Bank 21525023720		27,23,281.48		1,04,68,609.48	
Indian Bank 21525022160		30,13,732.50		34,18,482.50	
HDFC Bank 50100241762240		8,28,494.99		8,04,148.99	
ICICI bank 017501022107		4,72,245.60		4,47,253.00	
SBI A/C 42084803281 PROFESSIONAL TAX		1,38,141.00		1,32,108.00	
State Bank of India 30827946251		1,08,603.81		45,49,388.81	
Canara Bank 4904101005560		78,77,424.00		68,29,274.00	
Canara Bank 4904101005561		15,57,54,285.00		15,15,06,532.00	
Canara Bank 4904101005562		63,88,322.00		61,71,477.00	
Canara Bank 4904101005563		7,10,50,975.74		6,39,61,893.24	
CUJ CAUTION MONEY A/C 7277000100014269		106.00		102.00	
PNB Cuj 7277000100010555		5,16,908.00	35,04,45,480.72	5,03,087.00	33,02,92,544.75
Term Deposits Accounts					
Opening balance FDR		71,78,76,892.00		28,85,21,068.00	
Add: FDR with Bank		18,00,00,000.00		40,36,54,702.00	
Add: with Interest Received		2,22,73,460.00		2,60,01,435.00	
Less: FDR Matured / Redemed/TDS		11,26,61,037.00	80,74,89,315.00	3,00,313.00	71,78,76,892.00
Sweep Account					
Punjab National Bank		8,33,20,000.00		6,63,80,000.00	
State Bank of India		69,18,719.00		13,25,547.00	
Allahabad Bank					
Punjab National Bank Sweep-Foreign Payment		14,50,000.00		13,80,000.00	
Punjab National Bank Sweep-Mess Fee		1,04,40,000.00		39,70,000.00	
Punjab National Bank Sweep-Recruitment		32,45,000.00		20,20,000.00	
Punjab National Bank Sweep-Recurring		3,16,45,000.00		2,29,55,000.00	
Punjab National Bank Sweep-Capital A/C		2,05,65,000.00		4,93,15,000.00	
Punjab National Bank Sweep-Research project		2,64,45,000.00	18,40,28,719.00	1,95,30,000.00	16,68,75,547.00
B) With Non - Scheduled Bank					
Term Deposits Accounts					
Savings Account					
4. Post Office Saving Account					
TOTAL			1,34,19,63,514.72		1,21,50,44,983.75

SCHEDULE- 8	LOANS, ADVANCE & DEPOSITS	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
LOANS, ADVANCES & DEPOSITS					
1.Advance to Employees (Non- interest Bearing)					
: Salary		91,18,006.27		97,77,816.17	
: Festival					
: LTC Advance					
: Medical Advance					
: Seminar & Workshop Advance					
: Academic Project Fund Advance		10,40,796.00			
: Tour/Sports Advance etc			1,01,58,802.27		97,77,816.17
2. Long Term Advance to Employees (Interest Bearing)					
: vehicle Loan					
: Home Loan					
: Computer Advance			0.00		0.00
3. Advance and other amount recoverable in cash or in kind for value to be received					
-Advance on Capital A/c		4,24,93,422.00		5,14,93,422.00	
-Advance to Suppliers					
-Others		8,69,707.60	4,33,63,129.60	19,71,938.00	5,34,65,360.00
4. Prepaid Expenses					
-Insurance/Rent		1,155.00		1,155.00	
-Miscellaneous Expenses to the extent not written off			1,155.00	0.00	1,155.00
5. Deposits					
-Telephone				0.00	
-Lease Rent					
-Electricity					
-Rent Deposit		13,11,354.00		13,11,354.00	
-Other (UGC Rajya bhasha Hidi)		41,98,165.00		41,98,165.00	
-Other (Deposit & Advances)		10,03,875.00	65,13,394.00	10,03,875.00	65,13,394.00
6. Incom Accrued but not due					
-On Investments from Earmarked/ Endowment Funds					
-On Investments Others		2,70,42,464.00			
-On Loans & Advance					
-Others		0.00	2,70,42,464.00		0.00
7. Others- Current Assets Receivable from UGC/ Sponsored Projects					
-Debit Balance in Sponsored Projects 3(a)		75,24,763.00		1,17,77,453.00	
-Debit Balance in Sponsored Fellowship & Scholarship 3(b)		7,71,097.00		7,71,097.00	
-Grants Receivable (Sanctioned from UGC not Received)					
-Others Receivable from UGC 3c		0.00	82,95,860.00		1,25,48,550.00
8. Claims Receivable					
TOTAL			9,53,74,804.87		8,23,06,275.17

SCHESULE-9	ACADEMIC RECEIPTS	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
Fees from Students					
-Academic					
1. Tuition Fee	5,85,11,160.00			5,51,39,286.00	
2. Admission Fee	15,41,400.00			12,81,500.00	
3. Educational Field Visit					
4. Library Admission Fee	22,83,500.00			21,58,700.00	
5. Electricity Fee					
6. Sports Coaching Fee					
7. Registration Fee	26,02,114.00			37,83,209.00	
8. Syllabus Fee			6,49,38,174.00		6,23,62,695.00
-Examination					
1. Test and Exam Fee	62,74,000.00			57,40,760.00	
2. Annual examination fees					
3. Mark sheet fees Certificate Fee	7,36,000.00			11,99,000.00	
4. Others -CUCET EXAM FEES			70,10,000.00		69,39,760.00
-Other fees					
1. Medical fees	26,56,000.00			24,30,318.00	
2. Hostel Fees	1,40,01,389.00			55,56,900.00	
3. Transport fees	28,89,500.00			35,70,000.00	
4. Identity card fee					
5. Fine /Miscellaneous income	2,96,076.00			2,57,037.00	
6. NSS Fee				43,190.00	
7. Convocation Fees				13,26,000.00	
8. Cultural Fees					
9. Other Fee	1,08,72,283.00		3,07,15,248.00	2,77,56,307.72	4,09,39,752.72
Sale of Publications					
-Sale of admission forms					
Other Academic Recipts					
-Receipt for Workshop, Seminar Programmes, etc.					
TOTAL			10,26,63,422.00		11,02,42,207.72

SCHEDULE- 10	GRANTS RECEIVED/SUBSIDIES (IRREVOCABLE GRANT RECEIVED)	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
Plan Grant From University Grant Commission		68,19,73,979.00	68,19,73,979.00	60,84,88,471.00	60,84,88,471.00
			68,19,73,979.00		60,84,88,471.00

SCHEDULE- 11		INCOME FORM INVESTMENTS			
		Earmarked/Endowment Fund		Other Investments	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. Interest		-	-	-	-
-On Government Securities		-	-	-	-
-Other Bonds & Debentures		-	-	-	-
2. Interest on Term Deposits			-	2,21,08,455.00	2,38,49,591.00
3. Income accrued on Term Deposit/Interest bearing advances to employees			-	2,70,42,464.00	21,51,844.00
4. Interest on Saving Bank A/c			-		-
5. Others		-	-		-
TOTAL		-	-	4,91,50,919.00	2,60,01,435.00
Transferred to Earmarked/ Endowment Funds		-	-	-	-
BALANCE		-	-	-	-

SCHEDULE-12	INTEREST EARNED	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
On Savings bank accounts with scheduled banks	1,25,03,659.00			2,15,29,978.00	
On Loans				-	
-Employees/Staff	25,687.00				
-Others				-	
On Debtors & Other Receivables			1,25,29,346.00		2,15,29,978.00
			1,25,29,346.00		2,15,29,978.00

SCHEDULE -13	OTHER INCOME	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
A. Income from Land & Buildings					
-Hostel Room Rent					
-License Fee		8,45,251.00		4,12,348.64	
-Hire Charges of Auditorium/ Play Ground/Convention centre etc.					
-Electricity Charges Recovered		51,022.72		20,892.00	
-Water Charges Recovered					
TOTAL			8,96,273.72		4,33,240.64
B. Sale of Institute's Publications					
C. Income from Holding Events					
1. Gross Receipts from Annual Function /Sports Carnival					
Less: Direct Expenditure incurred on the annual Function/ Sports Cranival					
2. Gross Receipts from Fetes					
Less: Direct Expenditure incurred on Fetes					
3. Gross Receipts from Educational Tours					
Less: Direct Expenditure incurred on Education Tours					
4. Others (Contribution Received Cultural Prog./ Seminars)		2,09,066.39		-	
TOTAL			2,09,066.39		-
D. Others					
1. Income from Consultancy					
2. Income From Royalty					
3. Sale of Application Form		11,03,057.65		1,58,840.00	
4. Miscellaneous Receipts (Sale of Tender Form ,Waste Paper etc)		4,94,906.00		70,955.00	
5. Profit on sale/disposal of assets					
-Owned assets					
-Assets received free of cost.					
6. Grants/Donation from institutions welfare bodies and International organizations					
7. Receipts for Leave salary Contribution					
8. Others					
-Income from Sponsored Projects					
-Guest/ Fooding Receipts		3,29,486.00		3,59,296.51	
-Other Receipts					
- Written off					
TOTAL			19,27,449.65		5,89,091.51
GRAND TOTAL (A+B+C+D)			30,32,789.76		10,22,332.15

SCHEDULE -14	PRIOR PERIOD INCOME	2024-25	2023-24
-Academic Receipts		-	-
-Income from Investments		1,65,005.00	-
-Interest Earned			-
-Other Income		1,00,786.00	13,20,413.00
			-
	TOTAL	2,65,791.00	13,20,413.00

SCHEDULE-15 STAFF PAYMENT & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)		2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
a) Salaries,Wages, & Allowances					
-Teaching	31,69,26,239.00			28,10,20,443.00	
-Non Teaching	10,93,57,161.00		42,60,10,483.00	10,28,95,430.00	38,39,15,873.00
b) Contribution to Provident Fund/NPS	4,96,56,323.00			5,79,27,286.00	
c) Contribution to Other Fund	-			1,65,009.00	
d) Staff Welfare Expenses	-			1,13,400.00	
e) Retirement & Terminal Benefits	6,12,47,069.00			81,44,376.00	
f) Pension and Leave Salary Contribution Payments	3,02,351.00				
f) LTC Facility	39,11,392.00			16,82,682.00	
g) Medical Facility	56,44,212.00			1,11,32,400.00	
h) Children Education Allowance	54,08,679.00			29,40,761.00	
i) Honorarium	16,17,700.00		12,77,87,726.00	21,99,400.00	
j) others				2,87,119.00	8,45,92,433.00
TOTAL			55,37,98,209.00		46,85,08,306.00

SCHEDULE-15A		EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS			Amount in Rupees
PARTICULARS	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT	TOTAL	
Opening Balance as on 01.04.2024	-	54,85,572.00	26,58,804.00	81,44,376.00	
Addition:-Capitalised Value of Contribution Received from Other Organisation		6,57,144.00	-	-	
Total (a)	-	61,42,716.00	26,58,804.00	81,44,376.00	
Less- Actual Payments during the year (b)		31,96,118.00	24,29,639.00	56,25,757.00	
Balance Available on 31.03.25 --(c) (a-b)		29,46,598.00	2,29,165.00	31,75,763.00	
Provision required on 31.03.25 as per Acturial Valuation (d)		3,43,08,429.00	2,88,67,334.00	6,31,75,763.00	
A. Provision to be made in current year (d-c)		3,13,61,831.00	2,86,38,169.00	6,00,00,000.00	
B. Contribution to New Pension Scheme					
C. Medical Reimbursement to Retired Employees					
D. Travel to Hometown on Retirement					
E. Deposit Linked Insurance Payment					
TOTAL (A+B+C+D+E)		3,13,61,831.00	2,86,38,169.00	6,00,00,000.00	

SCHEDULE-16	ACADEMIC EXPENSES	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
Laboratory Expenses /Consumables			39,21,628.00		54,876.00
Fieldwork/ Participation in Conferences			5,87,504.00		8,27,512.00
Seminar / Workshop			10,06,930.00		2,76,410.00
Payment To Visitng Faculty					
Examination Expenses			1,77,321.00		1,51,338.00
Student Welfare Expenses			1,97,012.00		17,231.00
Admission Expenses			1,00,405.00		2,32,279.00
Convocation Expenses			1,84,953.00		56,82,452.00
Publications					
Fellowship, Scholarship & Stipend to Students			85,18,324.00		94,36,855.00
Fees & Subscription Expenses			17,92,705.00		23,22,575.00
Sports Expenses/Consumables			6,65,992.00		1,80,540.00
Sports Coaching Expenses					
Medical Consultancy & Medicines			2,86,019.00		1,70,131.00
Cultural Programme & Related Expenses			5,48,916.00		9,07,027.00
University Hostel & Mess Expenses					
Other (NAAC Expenditure)			36,73,019.00		25,850.00
TOTAL			2,16,60,728.00		2,02,85,076.00

SCHEDULE-17	ADMINISTRATIVE & GENERAL EXPENSES	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
INFRASTRUCTURE					
Electricity & Power Charges		1,08,33,161.00		1,09,03,761.20	
Fuel Expenses- Generator /Vehicles		1,13,01,365.00		1,26,35,750.00	
Insurance					
Rent, Rates & Taxes		22,39,502.00	2,43,74,028.00	21,47,850.00	2,56,87,361.20
COMMUNICATION					
Postage and Telegram		31,503.60		20,411.00	
Telephone/Recharge/Web -Site Expense		47,85,816.00	48,17,319.60	16,43,312.00	16,63,723.00
OTHERS					
Printing & Stationery		47,35,372.00		14,44,701.00	
Travelling & Tour Expenses		21,94,596.00		33,11,640.00	
Hospitality Expense		3,18,459.00		19,09,322.00	
Legal Expenses		16,83,818.00		1,80,347.00	
Accounting Retainership & other Professional Fees		2,59,820.00			
Meeting Exp		3,33,911.00		4,34,380.00	
Audit Fees					
Advertisement & Publicity Expenses		8,95,164.00		12,11,396.00	
News Papers & Journals Expense		2,57,744.00		2,85,150.00	
Security Expenses		3,35,30,618.00		2,90,34,463.00	
Consultancy Legal & other Fee		1,80,884.00		13,08,274.00	
Other General, Office Maintenance Expenses		25,48,541.00	4,69,38,927.00	24,53,031.00	4,15,72,704.00
TOTAL			7,61,30,274.60		6,89,23,788.20

SCHEDULE-18	TRANSPORTATION EXPENSES		2024-25		2023-24
1. Vehicle Owned by Institution					
- Insurance Expense			2,87,059.00		2,69,955.00
2. Vehicle Taken on Rent/ Lease					
3. Vehicle Hiring Expenses			86,32,672.00		1,01,16,932.00
			89,19,731.00		1,03,86,887.00
TOTAL					

SCHEDULE-19	REPAIR & MAINTENANCE	2024-25	2024-25	2023-24
Maintenance of Office & Building		1,19,299.00		1,48,155.00
Repair & Maintenance of P&M and Equipments		92,89,479.00		24,01,027.00
Campus / Gardening & Estate Maintenance		1,77,84,398.00		62,42,108.00
Repairs & Maintenance General		96,77,559.00		8,38,069.00
University House Keeping & Cleaning Charges		2,49,16,669.00		2,31,30,048.00
Guest House Maintenance		4,26,074.00		2,95,331.00
TOTAL		6,22,13,478.00		3,30,54,738.00

SCHEDULE-20	FINANCE COST		2023-24		2022-23
Bank charges			17,864.00		97,129.40
Interest, Rates & Taxes					
Penal Interest & other charges for delay tax compliance					15,022.00
TOTAL			17,864.00		1,12,151.40

SCHEDULE-21	OTHER EXPENSES	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
Provision for Bad & Doubtful Debts/Advances					-
Irrevocable Balance Written Off					-
Grants /Subsidies To Other Institutions/ Organisations					-
Miscellaneous Expenses -Written Off (From Misc. Assets)					
TOTAL					-

SCHEDULE-22 PRIOR PERIOD EXPENCES	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
-Establishment Expenses		91,00,976.00		33,37,289.00
-Academic Expenses				27,90,196.00
-Administrative Expense				
-Transporation				
-Repair & Maintenance				
-Other Expenses				
TOTAL		91,00,976.00		61,27,485.00

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(A Central University established by an Act of Parliament of India in 2009)
CAMPUS - BRAMBE - DIST - RANCHI - 835205
JHARKHAND.

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE ENDED 31-03-2025

RECEIPT	2024-25	2023-24	PAYMENT	2024-25	2023-24
I. Opening Balance			I. EXPENSES		
-Cash in hand			-Establishment Expenses	37,98,80,171.00	34,33,46,756.00
-Cash in bank			-Academic Expenses		
-In Current Account			-Administrative Expenses	4,56,21,902.02	4,50,69,646.40
-In Sweep Account	16,68,75,547.00	24,32,90,547.00	-Transportation	-	-
-In Saving Account	33,02,92,544.75	53,74,85,933.20	-Repair & Maintenance	-	-
			-Prior Period Expense	55,89,772.00	15,72,034.00
II. GRANT RECEIVED			II. PAYMENT AGAINST DESIGNATED/EARMARKED/ENDOWMENT FUND		
-Form Government of India			-Paid to HEFA	25,67,20,000.00	26,57,20,000.00
-Form State Government					
-From Other Sources (UGC)	1,03,66,88,877.80	1,03,68,37,238.00			
III. ACADEMIC RECEIPTS			III. PAYMENTS AGAINST SPONSORED PROJECTS/SCHEMES		
-Fee & Other	11,68,08,369.00	12,14,40,448.72	-Paid for MRP Projects	4,88,48,151.00	2,97,22,434.00
-Student Deposit	1,66,56,629.00	1,19,800.00			
-Application Receipts					
-Guest House & Foding Receipts	3,29,486.00	3,59,296.51			
IV. RECEIPTS AGAINST DESIGNATED/EARMARKED/ENDOWMENT FUND			IV. PAYMENTS AGAINST SPONSORED FELLOWSHIP/SCHOLARSHIP		
-Receipts from HEFA	70,41,226.50	54,86,549.00	-Paid for Fellowship Programme	1,14,06,222.00	1,26,11,280.00
V. RECEIPTS AGAINST SPONSORED PROJECTS/SCHEMES			V. INVESTMENTS & DEPOSITS MADE:		
-Major Research Project Grants	6,02,07,126.00	3,80,97,984.00	-Out of Earmarked/Endowment funds	-	-
			-Out of Funds (Investment-Other)	-	-
VI. PAYMENTS AGAINST SPONSORED FELLOWSHIP/SCHOLARSHIP			VI. TERM DEPOSIT WITH SCHEDULED BANKS		
-Fellowship Programme	1,08,72,168.00	94,91,778.00	-Investment Made	18,01,11,000.00	40,36,54,702.00
VII. INCOME ON INVESTMENTS FORM:			VII. EXPENDITURES ON FIXED ASSETS AND CAPITAL WIP		
-Earmarked/Endowment funds			-Fixed Assets		
-Other Investments			-Capital Work in progress		
VIII. INTEREST RECEIVED ON			VIII. OTHER PAYMENTS INCLUDING STATUTORY PAYMENTS		
-Bank Deposit			-Paid towards GPF/CPF/NPS	3,59,88,361.00	3,36,34,019.00
-Loans & Advances			-Tax Deduction at source	7,51,92,608.00	5,55,87,498.00
-Savings Bank Account	1,27,85,202.00	2,17,25,341.00	- Professional Tax Paid	5,37,396.00	5,03,997.00
-Capital Grant	86,47,453.00		- Fees, Rates and taxes		15,022.00
-Staff Advance	25,687.00		- Interest paid to HEFA	4,03,57,622.00	4,25,24,408.00
IX. INVESTMENT ENCASHED		3,00,313.00	IX. REFUNDS OF GRANTS		
X. TERM DEPOSIT WITH SCHEDULED BANKS ENCASHED			X. DEPOSIT AND ADVANCES		
-Investment Redeemed	11,26,69,912.00	91,26,177.00	-Earnest Deposit (Contractors)	32,46,500.00	30,23,930.00
			-Advances to staff against Contingencies	1,14,68,599.21	77,18,226.22
			-Advance to Supplier		
			-Deposit Refund To Students	54,42,000.00	14,68,000.00
XI. OTHER INCOME (INCLUDING PRIOR PERIOD INCOME)			XI. OTHER PAYMENTS		
-Sale of Tender Documents	1,67,000.00	68,500.00	-Creditors Paid (For Revenue & Capital Items)	25,81,37,489.00	28,36,02,932.00
-Seminar/Sponsorship	37,57,323.00	2,68,000.00	- Miscellaneous payments	43,71,283.41	22,93,169.00
XII. DEPOSIT & ADVANCES			XII. CLOSING BALANCES		
-Earnest Deposit (Contractors)	1,02,47,104.00	37,67,198.50	-Cash in Hand	-	-
-TDS Refundable	14,70,351.00		-Cash at Bank	-	-
-Staff Advance			-In Current Account	-	-
			-In Deposit Account	-	-
			-Sweep Account	18,40,28,719.00	16,68,75,547.00
			-In Saving Account	35,04,45,480.72	33,02,92,544.75
XIII. MISCELLANEOUS RECEIPTS INCLUDING STATUTORY RECEIPTS					
XIV. ANY OTHER RECEIPTS					
-Registrar -Central University of Rajasthan (For CUCET Exams)					
- UGC Rajya Bhasha Hindi					
- Miscellaneous Receipt	18,51,270.06	13,71,040.64			
TOTAL	1,89,73,93,276.11	2,02,92,36,144.57		1,89,73,93,276.36	2,02,92,36,145.37

Place: Cheri Manatu, Ranchi
Date:-25.06.2025

FOR CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(Shri P.K. Panda)
Finance Officer


(Prof. K.B. Das)
Vice Chancellor

NATIONAL PENSION SCHEME TIER-I ACCOUNT

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

Amount in Rupees

Liabilites	Amount		Assets	Amount	Amount
NPS Tier- I Account			NPS Tier- I Account		
Opening Balance as on 01/04/2024	1,22,35,484.00				-
			Investment		68,03,424.00
Add: Cont Employee	3,91,54,735.00				
Add: Univer. Contribution	4,96,56,323.00				
Add: Intrest Credited			Balance at Bank		78,71,085.00
Less: Transferred to NSDL	8,63,72,033.00				
Excess of income over Expenditure					
Balance as on 01.04.2025		1,46,74,509.00			
Total		1,46,74,509.00	Total		1,46,74,509.00

NATIONAL PENSION SCHEME TIER-I ACCOUNT

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25

		Amount in Rupees	
Expenditure	Amount	Income	Amount
Interest Credited to Subscribers' Accounts	-	Interest Earned on Investment	-
Bank Charge	-	Less: Interest Accrued 31/03/2024	-
Excess of Income over Expenditure	-		
Total	-	Total	-

NATIONAL PENSION SCHEME TIER-I ACCOUNT

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEARS 2024-25

		Amount in Rupees	
Recipts	Amount	Payments	Amount
Opening Balance as on 01/04/2024	54,32,060.00	Investment	
Own Subscription	3,91,54,735.00	Transfer to NSDL	3,59,88,361.00
University Contribution	4,96,56,323.00	Transfer to NSDL	5,03,83,672.00
Interest received on Investment	-		
Interest on Saving bank accounts	-	Closing Balance as on 31/03/2025	78,71,085.00
Investment Encashed	-		
Total	9,42,43,118.00	Total	9,42,43,118.00

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(A Central University established by an act parliament of India in 2009)

CHERI-MANATU, DIST. – RANCHI- 835222

JHARKHAND

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts for the year ended 31st March 2025.

SCHEDULE – 23: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS:

The Financial statements are prepared in accordance with the principles and procedures laid down by Ministry of Education, in the new format of account prescribed for centrally funded educational institutions and under historical cost convention on the basis of going concern with the Generally Accepted Accounting Principles in India except as stated otherwise.

2. REVENUE RECOGNITION:

- All grants/contribution are recognized on accrual basis if sanctioned irrevocable else on cash basis and expenditure/liabilities are recognized on accrual basis. Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor.
- Fees from students, sale of admission form and Interest on saving bank accounts are accounted on Cash basis.
- Income from Land , Buildings and other Property and Interest on investments are accounted on accrual basis.
- Expenditure are recognized on accrual basis and provision is made for all known expenses.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

(A) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of all direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.

- Assets are grouped in heads as per guidelines issued by MoE In FY 2024-25 some opening Fixed assets are regrouped in compliance of such guidelines and AG audit recommendation.
- Depreciation on Fixed assets is provided on Straight line method (SLM) at the rate mentioned in schedule – 4 and depreciation is provided for the whole year on additions during the year as per guidelines issued by MoE.
- In the books of Accounts cost of acquisition is shown at historical cost and Accumulated Depreciation is depicted separately.
- Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Rs.1/- in the Balance Sheet and will not be further depreciated. There after depreciation on the additions of each year is charged separately at the rate of depreciation applicable for that assets head.
- Assets created out of sponsored project funds where the ownership is retained by the sponsors but held and used by the institutions, are separately disclosed in the Notes to Accounts.
- Assets, the individual value each of which is Rs.2000/- or less except Library books, are treated as small value assets, 100% depreciation is provided in respect of such assets and hence charged to Revenue Account.
- Expenditure on acquisition of software has been separated from Computer and Peripherals as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these are very high.

(B) Capital work in progress: Fixed Assets in the course of Construction, Plant & Machinery, Equipment, etc. acquired and pending installation has been accounted as CWIP. The work as certified as completed are transferred from CWIP to respective assets.

4. INTANGIBLE ASSETS :

Patents and copy right ,E- Journals and Expenditure on acquisition of software (separated from Computer and Peripherals) are grouped under Intangible Assets., the rate of obsolescence in respect of these are very high. Deprecation has been provided at the rate mentioned in schedule – 4: Fixed Assets and Depreciation Allowance.

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 to 10 years depending upon the nature of expenditure, from the year it is incurred.

5. RETIREMENT BENEFITS

Retirement benefits i.e. pension, gratuity and leave encashment are provided on the basis of actuarial valuation. The Actual payments of Pension , Gratuity and Leave encashment are debited in the Accounts of respective provisions.

6. INVESTEMENTS:

Investments classified as "Current investment" and are carried at lower of cost or market value.

Accrued interest on term deposits have been recognized as per bank confirmation/calculation on the basis of deposit certificates and has been exhibited separately in Schedule 11.

Interest received in sweep/Flexi Account has been recognized as and when received in bank/ credited to respective Sweep/Flexi account statement.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

Transaction denominated in Foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing on the date of the transaction.

8 . TAXATION:

In view of there being no taxable income under income Tax Act 1961 (University is exempted from income Tax Under section 10 (23C), no provision for income tax is considered in the books of accounts.

9. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCE:

In the opinion of the management, the current assets, loans and advance have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the balance sheet.

10. LEASE:

Lease rental are expensed with reference to lease terms.

11. SPONSORED PROJECTS:

In respect of ongoing sponsored project, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities & Provisions". As and when expenditure incurred/ advances are paid against such project, or the concerned project account is debited with overhead charge the liability account is debited.

The Junior Research Fellowship funded by UGC or various other organization are accounted in the same way as sponsored project except that the expenditure generally is only on disbursement of fellowship and scholarship which may include allowance for contingent expenditure by the fellows and scholars.

11. CONTINGENT LIABILITES:

Liabilities which are material and whose future outcome cannot be ascertained with reasonable certainty are treated as contingent and disclosed by way of notes to accounts.

SCHEDULE – 24:

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Schedule 1 to 24 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2025 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

2. Contingent Liabilities

- BG issued in favour of JBVNL ,which is kept in the form of FDR Rs 53.90 lakhs. Interest earned on such FD has been taken as income.
- Some cases are pending against CUJ under different Courts. In this regards some FDR are kept under lien having Value Rs 94,14,702.00 (Rs 86,00,000.00+8,14,702.00)

3. Grant Received from UGC

As per norms of common Format of Accounts, grant in aid is properly segregated and only grant for revenue purpose is recognized in Income and Expenditure Account and the amount of grant utilized for Capital Expenditure has been capitalized and shown in respective assets and respectively added in Capita Fund.

4. FIXED ASSETS:

In the financial year 2024-25 the fixed assets acquired and also completed capital work transferred from CWIP amounted to Rs.127 crores. Depreciation has been charged at the rates applicable to the respective assets as per "Schedule 4".

As per Audit observation the Assets kept under head others are identified for proper heads and transferred to such heads. Due to this transfer there was a reduction in depreciation for Rs 11.70 lakhs and that was accounted for.

All assets related to computer, IT & Networking components have been booked under the head "Computer & Peripherals".

The University has been allotted land measuring 319.28 acres from Revenue & Land Reform Department, Government of Jharkhand at Cherri Manatu, Kanke Block, Ranchi as donation from State Government during the financial year 2012-2013. The land acquired as donation is shown separately as Fixed Assets "Land-Free Hold" at a nominal value of Re.1/-.

5. Capital Work in Progress:

There has been an addition amounting to Rs. 31.44 crores during the year however out of such WIP, some work has been completed for value Rs 89.35 crores and capitalised under proper heads .

6. Advance to Employees:

Advances granted to the employees of the university are depicted separately as under the following head:

Salary, LTC Advance, Medical Advance, Seminar & Workshop Advance, Tour/Sports etc Advance, Computer Advance

7. Revenue Recognition:

Fees from students, application fees student, teaching/non –teaching staff /charge are accounted on cash basis. Value of such academic receipts is for value Rs.10.27 crores ("Schedule-09")

8. PRIOR PERIOD ITEMS:

	AMOUNT(Rs)	REMARKS
<u>INCOME</u>	2.66 lakhs	Interest & Other Income
<u>EXPENSES</u>		
-Establishment Expenses	91 lakhs	
-Administrative Expense		
-Others		

9. RECONCILIATION:

Reconciliation of Central University of Jharkhand account with bank is done during the year and the reversal entries were made for all the identifiable cheques not presented or re- issued later.

10. RENT:

Rent is paid for Training Institute at Brambe & VC Residence which are taken on rental basis. As per lease agreement a sum of Rs.22.40 lakhs has been provided (for the period from 01.04.2024 to 31.03.2025).

11. DEPOSIT LIABILITIES:

No unclaimed deposit amount pending has been credited to miscellaneous income during Financial Year 2024-25.

12. INVESTMENTS:

Accrued interest on term deposit Rs. 2.70 crores calculated on the basis of prevailing interest rate has been recognized as Income from Investment (Schedule-11).

13. SOURCE OF FUND:

During the Financial year 2024-25 Rs. 68.20 crores was sanctioned by UGC as Grant in Aid Under Plan General Development Assistance, and received during the financial year. Other main source of fund is Academic receipts from Students which is received during the year is Rs 10.27 Crores.

14. CURRENT LIABILITIES:

Liability against sponsored fellowship / sponsored project has been separately accounted and schedule 3(a) & 3(b) fund balances are shown which are given for some special project work and fellowship & scholarship. Schedule 3(c) depicts Capital fund remaining after use of purchase of Fixed assets projects

During the year 2024-25, Central University of Jharkhand has been granted a loan from Higher Education Funding Agency (HEFA) for the purpose of Building Construction at permanent campus, Cheri-Manatu. The loan was in the form of payments made directly to the creditors. The outstanding loan amount as on 31st March, 2025 was Rs. 73.63 crores. This Amount is shown as Special Funds- Payable/ Unexpent under the head Current Liabilities.

15. Receipt & Payment Account "Annexed" as per the requirement.

16. CURRENT ASSETS

In schedule 7 under the head Cash & Bank balances the amount of Rs 35.04 crores is shown as the amount lying in different saving bank accounts (increased in compared to last year balance of Rs 33.02 Crores) out of which Rs. 24.11 crores are kept in four Canara Bank Accounts for transaction with Higher Education Financing Agency.

There is an arrangement with bank, for transfer of excess balance from saving to temporary fixed deposit account called Sweep Account. The balance available on such accounts is Rs 18.40 crores

17. In Schedule 9- Academic receipts, the other fees of Rs1.09 crores shown as per the fee structure of the University which includes the university share of self financing course amounting to Rs. 42.67 lakhs. However for bifurcation entry of other fund, a request has been made for software updation to concerned department.

18. In schedule 17- Administrative and General Expenses under the head Infrastructure Rs. 1.08 crores is shown as Electricity charges and Rs. 1.13 Crores as fuel charges which are lesser than the previous F.Y.2023-24. Such high amount is due to addition of new buildings in the campus and such payment are made as per the bill received from the Electricity Department. However, CUJ management has taken initiative for installation of solar power panels which will help in reducing the Fuel & electricity expenses significantly in future.

19. RETIREMENT BENEFITS

For FY 2024-25 Actuarial valuation estimate for Gratuity Liability is Rs 12.91 crores and for Leave Encashment is Rs 11.79 crores. Out of this estimates a fund has been created out of current year income for Rs 6.00 crores in the name of Superannuation fund.

20. NEW PENSION FUND:

As per New Pension Scheme accounts are owned by the members of this fund and not by the university. This accounts is separate from the University's accounts. A Receipts & Payments Account, an Income & Expenditure account and the Balance Sheet of pension scheme for the year ended for the year ended 2024-25 have been prepared and appended in the annual statement of accounts of the university for 2024-25 as per the guidelines of MoE.

- Previous year figures has been re-arranged and re-grouped where ever necessary so as to make them comparable with those of the current year.
- Figures are rounded off to the nearest rupee.
- Adjustments have been made against the observation raised by O/o the Principal Director of Audit (Central), Lucknow-Branch office Ranchi, Jharkhand at appropriate heads.

FOR CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

Place: Cheri Manatu, Ranchi
Dated:-25.06.2025


(Shri P.K. Panda)
Finance Officer


(Prof. K.B. Das)
Vice Chancellor



Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Director of Audit (Central), Lucknow
Branch Office: Ranchi, Jharkhand,
PAG Office Main Building, 5th floor, Doranda,
Ranchi-834 002

To

The Vice- Chancellor,
Central University of Jharkhand (CUJ),
Ranchi

Subject: Separate Audit Report on the accounts of Central
University of Jharkhand (CUJ), Ranchi


Sir,

I enclose a Separate Audit Report (SAR) on the Annual Accounts of Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi for the year 2024-25 for information and necessary action.

2. A copy of Separate Audit Report is also being sent to the Secretary to the Government of India, Ministry of Education, New Delhi for information and necessary action.
3. The audited Annual Accounts, Audit Report should be duly considered and adopted by the Governing Body (BOG) of the CUJ, Ranchi in the Annual General Meeting before these are laid in the House of parliament.
4. A copy of (i) Resolution of Governing Body adopting the Audit Report with audited Annual Accounts, (ii) Date of its presentation before the House of Parliament and (iii) Annual Report of the Institute may be furnished to this office in due course for our records and onward transmission to the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
5. The Hindi version of this SAR may be furnished to this office within one week.
6. The receipt of this letter with enclosures may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: - As above.


Principal Director of Audit (Central), Lucknow

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central University of Jharkhand for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of **Central University of Jharkhand**, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 31 (1) of the Central University's Act, 2009.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, the accompanying financial statements of **Central University of Jharkhand**, read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance for the year then ended in accordance with uniform format of accounts applicable to the University and accounting standards generally accepted in India..

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations, standards, manuals, guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Finance Committee of the University is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts applicable to the university and accounting standards generally accepted in India, and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations / standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc.

Place: *Ranchi*

Date: *18/12/2025*

For and on behalf of the CAG of India

Danijay Kumar
Principal Director of Audit (Lucknow)

Separate Audit Report on the Accounts of Central University of Jharkhand, Ranchi for the year ended 31 March 2025

A. Balance Sheet : ₹ 541.88 Crore

A.1 Fixed Assets (Schedule 4) : ₹ 451.07 Crore

A.1.1 During the financial audit of Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi, we observed that interest of ₹18.49 crore incurred on HEFA loans during FY 2020–21 to 2024–25, availed for construction of buildings at “Cherry Manatu” campus, was not capitalised.

Further, the university is also in receipt of the interest amount from UGC.

However, the University failed to capitalise the interest to Schedule 4 as Fixed Assets and CWIP and also did not credit the corresponding interest amount received from UGC to Schedule 3A (Other Current Liabilities – Special Funds Payable) and Schedule 1 (Corpus/Capital Fund – Assets Capitalised out of HEFA Fund).

Such, Non-compliance of AS-16, resulted in understatement of Assets under Schedule- 4 (Plan) Fixed Assets and Depreciation [CWIP & Building (Temp Campus/Permanent Camp)] by total amounting to ₹ 18.49 crore and corresponding understatement of Capital & Liability under Schedule 3A- Current Liabilities- Other Current Liabilities -Other Funds -Special Funds payable/ unspent (Secured Loan) amounting to ₹ 0.93 crore related to accrued interest along with Schedule 1-Corpus / Capital fund- Assets Capitalised out of HEFA fund by ₹ 17.56 crore related to interest already received from HEFA.

B. Accounting Policies

Departure from Prescribed Financial Statement Formats and Accounting Standards

The financial statements of Central University of Jharkhand (CUJ) reveal multiple deviations from the instructions and accounting policies prescribed in the "Formats of Financial Statements for Central Higher Educational Institutions" issued by the Ministry of Human Resource Development (MHRD). These departures are summarised below:

- (i) Non-Disclosure of Departure from Accounting Policy and Standard** - As per Point No. 3 of the “Instructions and Accounting Policies” (Page 62 of the Uniform Format issued by MHRD), any effect of departure from the prescribed accounting policy and applicable Accounting Standards 12 Government Grant and instruction issued by MHRD should be clearly disclosed. However, the treatment and accounting of grant amortization by CUJ has not been disclosed in accordance with this requirement, resulting in non-compliance with the disclosure norms of Accounting Standard (AS) 1 – Disclosure of Accounting Policies.

(ii) Improper Classification of Caution Money - Point No. A (3) of Schedule 3 (Page 70 of the Instructions of Uniform Format of Accounts issued by MHRD) clearly requires bifurcation of Caution Money between Current Students and Ex-Students. Additionally, the amounts must be further classified into Current and Non-Current liabilities. CUJ has failed to follow both these directives, leading to incomplete disclosure.

(iii) Lack of Classification Between Current and Non-Current Items - According to Point No. 6 (Page 63 of the Instructions of Uniform Format of Accounts issued by MHRD), where the standard format does not provide sufficient clarity, a separate schedule should be prepared. CUJ has not bifurcated its assets and liabilities into Current and Non-Current i.e deposits from students & Grant in Advance in Schedule 3 and Deposits and Investment in Schedule 8, which is a crucial disclosure under the preparation of financial statements and is in line with the principles of Accounting Standard (AS) 1 and AS 15 – Presentation and Disclosure Norms.

(iv) Non-Disclosure of Amount Involved Under Contingent Liabilities

During the course of audit, it was observed that the entity has disclosed the existence of certain contingent liabilities under the Notes to Accounts; however, the specific amounts involved in respect of such liabilities have not been disclosed. There are some contingent liabilities in form of Court Cases and Bank Guarantee given by the University etc.

As per Para 27 of AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", an enterprise should disclose for each class of contingent liability at the balance sheet date a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable: (i) an estimate of its financial effect (ii) an indication of the uncertainties relating to the outflow of resources, and (iii) the possibility of any reimbursement. Thus, the omission is not in accordance with AS-29, and results in inadequate disclosure in the financial statements.

(v) Non presentation of assets created out of sponsored projects pg. 50 pt no. 3.3

According to the instructions/guidelines issued by the Ministry of Human Resource Development (MHRD) to the Institute, fixed assets as **set out in Schedule-4** do not include assets purchased out of the funds of sponsored projects. This is in line with the stipulation in project contracts which clearly state that all such assets purchased from project funds shall remain the property of the respective sponsors and not of the

institution. However, during the review of the books of account, it was observed that there was non-presentation of such assets created out of sponsored projects, which is not in accordance with the aforesaid guidelines. As per point no. 3.3 on page 50 of the relevant guidance, CUJ is required to appropriately disclose and exclude such assets from the fixed asset schedule, thereby ensuring compliance with MHRD norms and maintaining transparency in financial reporting.

(vi) Non-Disclosure of Related Party Transactions

According to the instructions/guidelines issued by the Ministry of Human Resource Development (MHRD) to the institute with reference to Accounting Standard AS-18 on “Related Party Disclosures”, the institute is required to make appropriate disclosures in respect of all related party transactions in the financial statements. These disclosures are essential to ensure transparency and accountability in financial reporting. However, during the review of the books of account, it was observed that there was non-disclosure of related party transactions, under.

(vii) Non segregation of figures of Grants in Aid in Capital, Revenue etc

As per instructions/guidelines issued by the Ministry of Human Resource Development (MHRD) relating to Sch 3 – unutilised Grants from UGC, Government of India etc Grants should be separately shown in categories of UGC (Capital) and UGC (Revenue).

Audit noticed that the University is disclosing the consolidated amount making it difficult to segregate Further, In Sch 10 – Grants, Grants received in Capital and Revenue head has to be reflected separately which is not done.

C. General

C.1 The Institute has collected Earnest Money Deposits (EMDs) from students as well as Contactors as a caution, Earnest money & Security Deposit. Management has not maintained a comprehensive, reconciled EMD register linking deposits received to the underlying caution money, refunds made, forfeitures, or dates on which contractual obligations/guarantee periods expired.

Because of the absence of such records, the Institute has not been able to identify EMD balances that have remained unclaimed beyond three years and no write-back/reversal of such liabilities has been recorded in the financial statements.

C.2 During the course of audit, it was observed that **statutory liabilities** amounting to ₹ 0.39 crore have been outstanding in the books of the University for more than **two years**, as

detailed below:

Name of Statutory Dues	Amount Outstanding (₹) in crore
GST TDS	0.03
NPS Employee Contribution	0.31
NPS Employer Contribution	0.00
Goods and Services Tax	0.01
Provident Fund	0.04
TDS u/s 194J	0.00
Total	0.39 Crore

Despite the lapse of considerable time, these liabilities have neither been cleared nor written back. Prolonged retention of such balances without appropriate action indicates non-compliance with statutory timelines and may attract interest, penalties, or penal actions from the concerned authorities. Additionally, it reflects poorly on the financial discipline and internal control mechanisms of the University.

C.3 During the course of financial audit of the accounts of Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi, it was observed that a substantial amount of employee advances remain unadjusted or unrecovered over extended periods. The summary of pending adjustments is as under:

Particulars	Amount (₹) in crore
Credit Balances (Net receivable from staff)	(0.11)
Full Adjustment Due	0.24
No Movement since More than 1 Year	0.09
No Movement since More than 2 Years	0.16
No Recovery Since Last 2 Years	0.03
Total Outstanding Balance	0.41

Such long-outstanding balances reflect weaknesses in internal control and monitoring over advances paid to employees and contravene the principles of prudent financial management.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Draft Separate Audit Report may be brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

E. Assessment of Internal Controls

- (i) **Adequacy of Internal Control System:** The internal control system in the University reflected deficiencies in the following areas:-

- There is a lack of control in management and delegation of financial and administrative powers as they are vested with the Vice Chancellor of the University only.
- No MIS reporting system exists in the University related to day-to-day workings and Works in Progress.
- Control Register for creditors was not being maintained and Confirmation of debtors/loans & advances taken from respective parties was not obtained.
- Adequate checks and reconciliations were not in place to identify and record pre-paid expenses and incomes under appropriate heads.
- No procedures have been developed to review old outstanding ledger balances to improve financial reporting process.
- Adequate backup mechanisms should be created for accounting software.

(ii) Adequacy of Internal Audit System:

The Internal Audit Wing has not been established in the University. One Professor has been made in charge of the Internal audit and the functions of the internal audit are limited to vetting selected files and in the procurement process only. No internal audit report has been issued. Besides, no Internal Audit Manual has been prepared. A CA Firm has been engaged for the finalization of annual Accounts and filing of GST Returns.

(iii) System of Physical verification of fixed assets:

The latest fixed asset verification exercise was conducted as on 31.03.2024 and the verification report has been received; the University is yet to constitute a committee to examine the findings. Consequently, no action has been initiated on assets identified in the report as requiring accounting treatment such as impairment, write-off, or reclassification.

(iv) System of Physical verification of inventory:

The University undertook a verification of inventory during the financial year. However, despite the completion of physical verification and identification of inventory items in hand, the University has not recognized the closing inventory as an asset in its financial statements.

(v) Regularity in payment of statutory dues:

The entity is regular in depositing undisputed statutory dues arising during the current period out of its accruals. However, we noticed that the University is yet to

clear old outstanding balances relating to statutory dues as appearing in its books of accounts as reported in para E.3 above.

These legacy balances require proper review and reconciliation to ascertain the current status of the liability

F. Grants in Aid: [Sch 3C - ₹ 11.39 Crore & Sch 10 - Nil]

The University received a total Grant from the University Grants Commission (UGC), Ministry of Education, Government of India amounting to ₹ 79.61 crore (Capital (Plan) ₹ 11.61 crore and Revenue ₹ 68 crore).

The unspent balance¹ as per the books of accounts was ₹ 12.98 Crore, (Capital Plan) ₹ 11.29 crore, and Revenue ₹ 1.69 crore.

Thus, the total fund of the institute was ₹ 92.59 crore (Capital ₹ 22.90 crore and Revenue ₹ 69.69 crore).

Out of this, the institute utilized a sum of ₹ 76.03 crore (Capital ₹ 9.01 crore and Revenue ₹ 67.02 crores)

Whereas the institute also refunded an amount of ₹ 5.17 Crore (Capital ₹ 2.50 Crore; and Revenue ₹ 2.67 crores) due to unspent balances.

Thereby, leaving an unspent balance² of ₹ 11.39 crores [Capital ₹ 11.39 crores and Revenue ₹ NIL).


Principal Director of Audit (Lucknow)

¹ The unspent balance of the previous year as per SAR for Capital was ₹ 13.01 crore, and for Revenue ₹ 0.72 crore, Total amounting to ₹ 13.73 Crore. Thus, there is a difference between SAR and Books of A/c by -0.75 Crores (Capital (Plan) ₹ -1.72 crore and Revenue ₹ 0.97 crore). This is mainly due to difference in Cash and accrual basis of preparation of SAR.

² The Unspent balance has been computed from Annual Accounts; previous year SAR.

D.O. No PDAC/LKO/CUJ, Ranchi/ 2024-25/ 172/94 Dated: 18.12.2025



INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS
DEPARTMENT

O/o the Principal Director of Audit (Central),
Lucknow
Branch office Ranchi, Jharkhand

Sanjay Kumar
Principal Director (Central)

Dear

The Annual Accounts of Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi for the year 2024-25 has been audited and the Audit Report there on has been issued vide No 1-95 Dated: 18.12.2025 12-2025. During the course of audit certain deficiencies have been noticed which are of relatively minor nature and therefore not included in the Audit Report.

These are being brought to your notice for corrective and remedial action.

Yours Sincerely,

Sanjay Kumar

Prof. Kshiti Bhusan Das, Vice-Chancellor
Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi

ML.1 During the course of audit, it was observed that the University has not disclosed, any interest earned on the unutilised loan amount refundable.

The University has disclosed a liability of ₹ 73.19 Crore out of ₹73.31 Crore under Schedule 3 – Current Liabilities pertaining to Grants in Advance of the said HEFA loan. However, on verification of subsidiary records and reconciliations, it was observed that the liability should have been ₹70.80 Crore towards principal repayment (Net of Assets capitalized till date) and ₹3.19 Crore (₹ 1.84 Crore + ₹ 1.35 Crore) as refundable interest, aggregating to ₹73.99 Crore.

Hence, the current liability has been understated by ₹ 0.80 crore, resulting in a corresponding overstatement of the Capital Fund to the same extent.

ML.2 During the course of financial audit of accounts of Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi, it was noticed that Schedule-3A “Sundry Creditors – For Goods & Services” was presented net of debit balances amounting to ₹ 0.20 crore. This includes Security Deposits of ₹ 0.09 crore and Payments made to vendors amounting to ₹ 0.11 crore for which expenditure was not yet recognised.

The above treatment has led to Understatement of Schedule-3A – Sundry Creditors for Goods & Services by ₹ 0.20 crore; Understatement of Schedule-8 – Loans, Advances & Deposits – Deposits by ₹ 0.09 crore; Understatement of expenditure under the following heads; Schedule-17 – Administrative & General Expenses – Legal Expenses by ₹ 0.0015 crore ; Schedule-15 – Staff Payment & Benefits – Honorarium by ₹ 0.0001 crore ; Schedule-15 – Staff Payment & Benefits – Medical Facility by ₹0.0087 crore ; Schedule-22 – Prior Period Expenses by ₹ 0.10 crore.

This has also resulted in overstatement of Schedule-1 – Corpus / Capital Fund (Excess of Income over Expenditure transferred from Income & Expenditure Account) by ₹ 0.11 crore.

ML.3 During the course of financial audit of accounts of Central University of Jharkhand (CUJ), Ranchi, it was observed that a provision for committed expenditure amounting to ₹ four crore was recognized in the financial years prior to April 2023. Out of this, ₹3.83 crore was subsequently paid/adjusted in the following years. However, an amount of ₹ 0.17 crore remains unpaid as on date.

Similarly, during the financial year 2023–24, a provision of ₹1.488 crore was booked towards committed expenditure. Out of this, ₹1.483 crore has been paid/adjusted in subsequent periods, leaving ₹0.005 crore still unpaid as on date.

It is noted that the entire provisioned amounts were treated as grant utilization in the respective years, despite certain amounts remaining unpaid to the concerned beneficiaries. This treatment results in overstatement of expenditure and overstatement of grant utilization in the respective financial years.

As of the date of audit, the University has not undertaken reconciliation or write-back of the unpaid provisioned amounts. The absence of such reconciliation leads to Overstatement of liabilities of ₹ 0.17 crore under Schedule -3 Current Liabilities and Provisions for Expenses- Provisions- Others (Committed Expense & provision for unsettled claims)

ML.4 During the course of Financial audit of Accounts of Central University of Jharkhand for the financial year ended 31st March 2025, we observed that certain assets, individually valued below or upto ₹ 2000 were found to be capitalised in the Fixed Asset Register in contrary to the MHRD accounting guidelines.

On review, we found that assets having Written Down Value of ₹ 0.26 crore having individual cost up to ₹ 2000 were capitalised instead of being expensed off with 100% depreciation as per the above-stated policy.

Summary of such Small Value Assets is as under:-

Incorrec t	Assets Type	No of Items	Amount of WDV of Assets (In ₹) Crore
1	Audio Visual Equipment's	33	0.0009
2	Electrical Installation & Equipment's	2,893	0.23
3	Furniture, Fixture & Fitting	210	0.014
4	Scientific & Laboratory equipment's	339	0.013
5	Plant & Machinery	101	0.0025
	Total	3,576	0.2604

This led to overstatement Schedule 4 FIXED ASSETS-Tangible Assets and Understatement of Depreciation under the same schedule. Further, this led to overstatement Of Schedule-1 Corpus / Capital Fund-Excess of Income over expenditure transferred from the Income & Expenditure by ₹ 0.26 crore.

ML.5 During the course of Financial audit of records of Central University of Jharkhand (CUJ), we noticed that during the financial year 2021–22, the University made a payment of

₹ 0.36 crore to IIT Roorkee towards Structural and Safety Audit of buildings under construction at Cherry Manatu Campus, Ranchi. This amount was charged to Capital Work-in-Progress (CWIP) under Schedule 4 – Fixed Assets.

Subsequently, we noticed that ₹ 0.29 crore was refunded by IIT Roorkee during FY 2023–24 and 2024–25 due to non-performance of the agreed scope of work.

Since the refunded amount corresponds to unperformed services, such costs do not qualify for capitalisation. However, no adjustment has been made in the books of accounts to reduce the cost of CWIP and recognise the refunded amount as a liability or income, as applicable.

Consequently Schedule 4 – Fixed Assets – CWIP stands overstated by ₹ 0.29 crore, and Schedule 3 – Current Liabilities – Sundry Creditors stands overstated to the same extent, as the refund has not been duly accounted. This has resulted in misstatement of asset and liability balances in the financial statements and is not in line with the applicable accounting standards.

ML.6 Departure from Prescribed Financial Statement Formats and Accounting Standards

(i) Non booking of Inventory out of consumable of chemical/ glassware etc.

According to the guidelines issued by the Ministry of Human Resource Development (MHRD), educational institutions are required to account for expenditure on the purchase of chemicals, glassware, publications, and other stores as revenue expenditure. However, the value of the closing stock held as on 31st March is to be recognized as inventories, thereby reducing the corresponding revenue expenditure. This inventory is to be valued at cost, based on information obtained from the respective departments, as specified in Point 5 on page 46 of the relevant guidelines. During the review of the books of account, it was observed that inventory arising out of consumables such as chemicals, glassware, etc., was not booked. This non-compliance with the prescribed accounting treatment results in overstatement of revenue expenditure and understatement of assets, thus impacting the fair presentation of the financial statements.

ML 7. "The Institute is required to give detailed disclosure of Retirement Benefits in notes to accounts" as required by AS 15"



Dy. Director (Central)

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(A central university Established by an Act of Parliament of India in 2009)



वार्षिक लेखा
2024-25

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
चेरी मनातु - राँची - 835222
झारखण्ड


31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपये में)			
निधि के स्रोत	अनुसूची	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
समग्र (कॉर्पस)/पूँजी निधि	1	3,42,01,95,537.41	2,75,18,78,778.45
नामित/निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	2	-	47,99,201.00
वर्तमान देयता और प्रावधान	3	1,99,85,82,081.10	2,25,07,94,539.55
कुल		5,41,87,77,618.51	5,00,74,72,519.00
निधियों का अनुप्रयोग			
अचल संपत्तियाँ			
मूर्त संपत्ति	4	1,84,96,02,055.55	99,90,35,280.37
अमूर्त संपत्ति	4	6,10,328.80	7,13,536.63
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	4	2,13,12,26,915.00	2,71,03,72,443.00
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश			
दीर्घकालिक			
अल्पावधि			
निवेश — अन्य	6	-	-
वर्तमान संपत्तियाँ	7	1,34,19,63,514.72	1,21,50,44,984.00
ऋण अग्रिम एवं जमा	8	9,53,74,804.87	8,23,06,275.00
कुल		5,41,87,77,618.94	5,00,74,72,519.00

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए



(पी. के. पण्डा)
वित्त अधिकारी



(प्रो. के.वी.दास)
कुलपति


स्थान: चेरी मनातु, राँची
दिनांक: 25.06.2025


झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय
(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
चेरी मनातु, जिला - राँची- 835222
झारखंड
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	10,26,63,422.00	11,02,42,207.72
अनुदान/ सस्विडी	10	68,19,73,979.00	60,84,88,471.00
निवेश से आय	11	4,91,50,919.00	2,60,01,435.00
अर्जित व्याज	12	1,25,29,346.00	2,15,29,978.00
अन्य आय	13	30,32,789.76	10,22,332.15
पूर्व अवधि की आय	14	2,65,791.00	13,20,413.00
कुल (क)		84,96,16,246.76	76,86,04,836.87
व्यय			
कर्मचारियों के भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15	55,37,98,209.00	46,85,08,306.00
शैक्षणिक व्यय	16	2,16,60,728.00	2,02,85,076.00
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	7,61,30,274.60	6,89,23,788.20
परिवहन व्यय	18	89,19,731.00	1,03,86,887.00
मरम्मत एवं रखरखाव	19	6,22,13,478.00	3,30,54,738.00
वित्त लागत	20	17,864.00	1,12,151.40
मूल्यहास	4	10,51,22,454.00	6,94,92,537.82
अन्य खर्च	21	-	-
पूर्व अवधि के खर्च	22	91,00,976.00	61,27,485.00
कुल (ख)		83,69,63,714.60	67,68,90,969.42
खर्च से आय के अधिक होने के कारण शेष (क-ख)		1,26,52,532.17	9,17,13,867.45
निर्दिष्ट निधि से/में स्थानांतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (निर्दिष्ट)		-	-
अभिषेक/घाटा होने के कारण पूंजीगत निधि में अग्रणीत शेष		1,26,52,532.17	9,17,13,867.45
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियां	23		
आकस्मिक देयता और खातों पर टिप्पणियां	24		

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए


(पी. के. पण्डा)
वित्त अधिकारी


(प्रो. के.बी. दास)
कुलपति

स्थान: चेरी मनातु, राँची
दिनांक : 25 / 06 / 2025

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
चेरी मनातू, जिला – राँची- 835222
झारखंड
वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग बनाने वाली '1' से '24' तक अनुसूची

		(राशि रुपये में)	
अनुसूची – 1	समग्र (कॉर्पस) / पूंजीगत निधि	2024-25	2023-24
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि		2,75,18,78,778.56	2,70,80,32,487.00
जोड़ें: समग्र / पूंजी निधि में अंशदान			
जोड़ें: यूजीसी, भारत सरकार व राज्य सरकार से अनुदान जितना पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग में लाई गई		9,01,49,515.00	11,76,19,556.00
जोड़ें : चिह्नित निधि से संपत्ति क्रय			
जोड़ें: प्रायोजित परियोजनाओं से संपत्ति क्रय जिसका स्वामित्व संस्थान के पास है			
जोड़ें: दान की गई संपत्ति / प्राप्त उपहार		97,83,910.80	
जोड़ें: एचईएफए (हेफा) निधि से पूंजीकृत परिसंपत्तियां		55,57,30,801.00	
जोड़ें: अन्य परिवर्धन			
जोड़ें: आय और व्यय से हस्तांतरित व्यय से आय की अधिकता		1,26,52,532.06	9,17,13,867.34
(कटौती): लेखा अवलोकन के अनुसार समायोजन			(16,54,87,132.00)
(कटौती): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित घाटा			
वर्ष के अंत में शेष राशि		3,42,01,95,537.41	2,75,18,78,778.56

अनुसूची - 2		नामित / निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		
	पूँजी अनुसार विच्छेद		कुल	
	निर्धारित निधि	बंदोबस्ती निधि	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क) वर्ष के शुरुआत में शेष राशि	47,99,201.00	-	47,99,201.00	38,12,500.00
ख) जोड़ें: निधि में अतिरिक्त		-	-	-
1. दान/अनुदान		-	-	47,99,201.00
2. निधियों से किए गए निवेश से आय	-	-	-	-
3. निधियों के निवेश पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
4. अन्य परिवर्धन	-	-	-	-
कुल (क+ख)	47,99,201.00	-	47,99,201.00	86,11,701.00
ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय				
1. पूँजीगत व्यय				
> अचल संपत्ति	47,99,201.00	-	47,99,201.00	-
> अन्य	-	-	-	-
2. राजस्व व्यय				
> वेतन, मजदूरी भत्ता आदि	-	-	-	-
> किराया	-	-	-	-
> अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-
घ) अप्रयुक्त राशि वापस की गई			-	38,12,500.00
कुल (ग)	47,99,201.00	-	47,99,201.00	38,12,500.00
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष राशि (क+ख-ग)	-		-	47,99,201.00
द्वारा प्रदर्शित		-		
नगद एवं बैंक शेष	-		-	-
निवेश	-	-	-	-
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल	-		-	-

अनुसूची - 3	वर्तमान देनदारियाँ एवं खर्चों के लिए प्रावधान	
	2024-25	2023-24
क. वर्तमान देनदारियाँ		
कर्मचारियों द्वारा जमा		
विद्यार्थियों द्वारा जमा	4,44,27,682.00	3,11,84,417.00
(विश्वविद्यालय छात्रावास पुस्तकालय एवं केन्द्र अवधान-राशि जमा)		
विविध देनदार (क्रेडिटर्स) (परियोजना माल और सेवाएं आदि)		
वस्तु और सेवाओं के लिए	2,98,75,623.71	2,28,38,810.71
—अन्य	28,39,912.00	
जमा - अन्य (बयाना राशि जमा (इएमडी) और सुरक्षा जमा (एसडी) सहित)	15,92,11,604.99	14,51,20,441.00
सांविधिक देनदारियाँ (भविष्य निधि (पीएफ), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), पेशेवर कर (प्रोफ. टैक्स), स्रोत पर कर (टीडीएस), कार्यकर्ता/ कार्य सविदा (डब्ल्यूसी) कर रॉयल्टी) <input type="checkbox"/>		
—अतिदेय		
—अन्य	1,90,59,241.08	2,19,45,238.50
अन्य वर्तमान देनदारियाँ		
— वेतन/ पारिश्रमिक	3,26,99,019.00	3,00,47,279.00
प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्तियाँ -3 (क)	4,69,96,102.39	4,18,31,606.00
प्रायोजित अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) और छात्रवृत्तियों के विरुद्ध प्राप्तियाँ -3 (ख)	6,39,872.00	9,66,490.00
— उपयोग में नहीं लाए गए अनुदान -3(ग)	11,38,81,995.00	12,98,65,510.00
— अग्रिम अनुदान	73,31,30,899.00	1,04,91,66,247.00
अन्य निधियाँ - विशेष निधि देय / अप्रयोग्य (सुरक्षित ऋण)	73,63,22,838.34	74,59,31,372.34
— अन्य देनदारियाँ	13,59,002.00	15,19,557.00
कुल (क)	1,92,04,43,791.51	2,22,04,16,968.55
ख. प्रावधानों		
— कराधान के लिए		
— उपदान (ग्रेचुएटी)	29,46,598.00	54,85,572.00
— सेवानिवृत्ति निधि	6,00,00,000.00	
— संचित अवकाश नकदीकरण	2,29,165.00	26,58,804.00
— व्यापार वारंटी / दावा		
— अन्य (प्रतिबद्ध व्यय और अनसुलझे दावों के लिए प्रावधान)	1,49,62,526.59	2,22,33,195.00
कुल (ख)	7,81,38,289.59	3,03,77,571.00
कुल (क + ख)	1,99,85,82,081.10	2,25,07,94,539.55

अनुसूची 3 (क) प्रायोजित परियोजनाएं		01.04.2024		इस वर्ष के दौरान प्राप्तियां और वसुलियां			वर्ष के दौरान व्यय					31.03.2025	
		प्रारंभिक रोक		ऋणित (सीआर.)			ऋणित (सीआर.)					जमा रोक	
क्र.सं.	परियोजना के नाम	ऋणित (सीआर.)	ऋणित (सीआर.)	निधि अनुदान प्राप्त	वसुली	कुल	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	उपरी व्यय शुल्क	अग्रिम प्रदान	प्रतिष्ठान एजेंसी को वापसी	ऋणित (सीआर.)	ऋणित (सीआर.)
।	प्रायोजित परियोजना (प्रोजेक्ट)												
क	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग												
	प्रमुख रिक्त परियोजना (एफआरपी)												
1	एमआरपी धर्मेश सिंह –(आइयूसएसी)					-							
2	एमआरपी अनुदान बीपी सिंह		1,14,018.00			1,14,018.00	-		23,800.00				90,218.00
3	एमआरपी परियोजना आर.के.डे		932.00			932.00							932.00
4	एमआरपी कविता परमार (एसइआरपी)		11,426.00			11,426.00							11,426.00
5	एमआरपी राज बहादुर सिंह (एसइआरपी)		14,64,549.00	93,969.00		15,58,518.00	9,08,299.00		1,35,000.00				5,15,219.00
6	एमआरपी परियोजना गजेन्द्र प्रसाद		2,446.00			2,446.00	-		2,446.00				-
7	एमआरपी बाबुदेव प्रधान, एसइआरपी		1,00,000.00			1,00,000.00							1,00,000.00
8	एमआरपी परियोजना बिलुप्त होने वाली भाया		49,32,481.00			49,32,481.00	3,82,347.00	41,736.00					45,08,398.00
9	एमआरपी परियोजना, एसएसी (सैक), अरविंद चंद पांडे		-			-							-
10	एमआरपी आर एड डी पायलट परियोजना अमित कुमार		2,78,818.00			2,78,818.00							2,78,818.00
11	एमआरपी परियोजना अशोक मिश्रा		-			-							-
12	एमआरपी एसएसी (सैक) एबीआईआरआईएस अमित कुमार	-	-			-						-	-
13	एमआरपी एसएसी (सैक) जीआईएसएसी अरविंद चंद पांडे	-	-			-						-	-
14	एसइआरपी बाबुदेव प्रधान कैकट्टी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा		-	6,13,140.00		6,13,140.00	6,13,140.00						-
15	एमआरपी एसआईएसएसआर (निसार) बायोमास – अमित कुमार		-			-							-
16	एमआरपी एसआईएसएसआर (निसार) भूमिज्ञान – ए सी पांडे		-			-							-
17	एमआरपी परियोजना निसार – विकास रंजन परीदा	-	-			-						-	-
18	एमआरपी – राज बहादुर सिंह		-			-							-
19	एमआरपी अभिलेखीय एवं गैर अभिलेखीय – सीमा ममता मिश्र		33,000.00			33,000.00							33,000.00
20	सीएसआर सीआई – एस के समदर्शी		-			-							-
21	एमआरपी निर्मली बोरटोली एसइआरपी ईईअयू		-	3,19,000.00		3,19,000.00	2,00,000.00		1,19,000.00				-
22	यूजीसी स्टार्टअप अनुदान – डॉ. भूपेन्द्र सिंह		-			-							-
23	यूजीसी डीएई सीएसआर इंदौर – एस के समदर्शी		8,57,623.00			8,57,623.00	8,16,489.00						41,134.00
24	एमआरपी गंगाबुल परियोजना – देवराज सिंह		58,533.00			58,533.00							58,533.00
25	एमआरपी परियोजना (कारकोनियम) – विनीत कुमार अंगोतिया		-			-							-
	उप कुल	-	78,53,826.00	10,26,109.00	-	88,79,935.00	29,20,275.00	41,736.00	2,80,246.00	-	-	-	56,37,678.00
	मुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (पीएसआर)												
1	पीएसआर विनीत कुमार अंगोतिया		-			-							-
2	पीएसआर पार्थ घोष		-			-							-
3	पीएसआर पूर्वी साइकिया		-			-							-
4	पीएसआर धर्मेश सिंह		-			-							-
5	पीएसआर सचिन कुमार		1,71,249.00			1,71,249.00							1,71,249.00
6	पीएसआर मास्कर सिंह		-			-							-
7	पीएसआर पल्लवी शर्मा		-			-							-
8	पीएसआर यूजीसी स्टार्टअप रमेश उरांव		2,69,451.00			2,69,451.00						2,69,451.00	-
9	पीएसआर निर्मली बोरटोली		-			-							-
10	एमआरपी रिसर्च एम रोमाकृष्णन		84,932.00			84,932.00							84,932.00
11	इंडिया-जापान संयुक्त (ज्वायंट) रिसर्च परियोजना डॉ बाबुदेव प्रधान		28,881.00			28,881.00							28,881.00
12	रिसर्च अवाई डॉ एस. के. चौधरी 30-06/2016 (एसए-II)	6,68,993.00				(6,68,993.00)						6,68,993.00	
	उप कुल	6,68,993.00	5,54,513.00	-	-	(1,14,480.00)	-	-	-	-	2,69,451.00	6,68,993.00	2,85,062.00
	-यूजीसी एफआरपी		-			-							-
			-			-							-
			-			-							-
1	यूजीसी एफआरपी – संदीप कुमार चौधरी	18,30,784.00				(18,30,784.00)						18,30,784.00	
2	यूजीसी एफआरपी – पार्थ घोष	8,37,232.00		8,37,232.00		-							
3	यूजीसी एफआरपी – पल्लवी कुमार	42,09,698.00				(42,09,698.00)						42,09,698.00	
4	यूजीसी एफआरपी – सत्यसाही मुनिया	16,90,556.00		16,90,556.00		-						-	
5	यूजीसी एफआरपी – विकास रंजन परीदा	16,30,779.00		16,30,779.00		-						-	
6	वायएसएस परियोजना पार्थ घोष (एसइआरपी)	-				-						-	
7	वायएसएस परियोजना देवजीत दास (एसइआरपी)	-				-						-	
8	स्टैटस डिस्टिन्क्शन – पूर्वी सैकिया (एसइआरपी)		93.00			93.00							93.00
9	एफटीवायएस – गजेन्द्र प्रसाद सिंह		-			-							-
10	यूजीसी एसयूजी – संदीप कुमार चौधरी		2,04,864.00			2,04,864.00							2,04,864.00
11	एफआरपी जयंत बराल		3,00,000.00			3,00,000.00							3,00,000.00
	उप कुल	1,01,99,049.00	5,04,957.00	41,58,567.00	-	(55,35,525.00)	-	-	-	-	-	60,40,482.00	5,04,957.00

ख	अन्य मंत्रालय			-									-
	<u>—भातखर्च प्रशासन विकास मंत्रालय (एमएफआरडी)</u>			-									-
	<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</u>			-									-
1	एमआरपी डीएड—सीएसआर, इंदौर — धमेन्द्र सिंह		62,703.00	8,29,574.00		8,92,277.00	3,02,345.00						5,89,932.00
2	एमआरपी अनुदान — कोंकण तामी		83,838.00			83,838.00							83,838.00
3	एमआरपी अनुदान — राज किशोर मिश्रा		-			-							-
4	एमआरपी अनुदान — विल्व कुमार कोहला(डीएफटी)		-			-							-
5	अग्निजीव घोष (डीएसटी / टीएन / सीबीआरआई / सी / 199)	5,16,560.95	-			(5,16,560.95)	2,21,822.00				7,38,382.95		-
6	भारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय गीत परियोजना (पीआई — प्रो० एस.के.समन्तरी)		52,62,299.34	1,87,574.00		54,49,873.34							54,49,873.34
7	एमआरपी डीएड—सीएसआर — धमेन्द्र सिंह		60,320.00			60,320.00							60,320.00
8	बीएसआर स्टार्ट अप अनुदान — विकास रंजन परीदा		-			-							-
9	भारतीय ज्ञान प्रणाली (ईआईसीटीई) 3921 — टी. के. बंसलिया		21,945.00	79,026.00		1,00,971.00	1,00,000.00			971.00			-
	उप कुल	5,16,560.95	54,91,105.34	10,96,174.00	-	60,70,718.39	6,24,167.00	-	971.00	-	7,38,382.95	61,83,963.34	
	<u>प्रेरित अनुसंधान</u>												-
													-
1	डॉ. आदित्य कुमार पांडा — प्रेरित प्राध्यापक (फैकल्टी)					-							-
2	सात्वती कुमारी — प्रेरित प्राध्यापक					-							-
	उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>स्वास्थ्य एवं परिवहन विभाग</u>												-
	<u>एमआरपी प्रोजेक्ट युवा वैज्ञानिक</u>												-
1	बायोग्रेस बासुदेव प्रधान (एसडआरसी)					-							-
2	बायोग्रेस विकास रंजन परीदा					-							-
	उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी)</u>												-
													-
1	एमआरपी अनुदान — अर्चना शंकर मदुराबाई					-							-
2	रामनांजन कैलेशिप — डॉ. बासुदेव प्रधान		1,48,576.00			1,48,576.00							1,48,576.00
3	रामनांजन कैलेशिप — विल्व कुमार कोहला		2,60,609.00			2,60,609.00							2,60,609.00
4	एसईआरबी—जितेंद्र कुमार		-			-							-
5	एसईआरबी— सत्यसाची मुनिया		27,67,000.00			27,67,000.00	15,46,918.00			1,75,480.00			10,44,602.00
6	एमआरपी निर्मली मोरदासी एसईआरबी इडक्यू		-			-							-
7	एमआरपी एसईआरबी इडक्यू एनेश उराय		12,43,964.00			12,43,964.00							12,43,964.00
8	एमआरपी एसईआरबी इडक्यू/2017/000476—कुलदीप बीड़		-			-							-
9	एमआरपी एसईआरबी इडक्यू/2017/000476—कुलदीप बीड़		6,81,156.00			6,81,156.00	4,000.00						6,77,156.00
	उप कुल	-	51,01,305.00	-	-	51,01,305.00	15,50,918.00	-	1,75,480.00	-	-	-	33,74,907.00
	<u>वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्</u>												-
													-
													-
	उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्</u>												-
1	एमआरपी अनुदान — राजश्री पाठी		3,60,000.00			3,60,000.00							3,60,000.00
2	आईसीएसएसआर — सुवेता सेन चौधरी (एससीईके बिहारंग)		8,50,000.00			8,50,000.00	6,24,373.00						2,25,627.00
3	आईसीएसएसआर — सहिता सूरसिया		1,76,843.00			1,76,843.00	-			1,76,843.00			-
4	राजश्री पाठी बीन उल्हीडन का अध्ययन आईसीएसएसआर			7,75,000.00		7,75,000.00							7,75,000.00
5	आईसीएसएसआर — मिलन किशोर		1,45,696.00	100.00		1,45,796.00	3,000.00						1,42,796.00
	उप कुल	-	15,32,539.00	7,75,100.00	-	23,07,639.00	6,27,373.00	-	-	-	1,76,843.00	-	15,03,423.00
	<u>अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार</u>												-
1	एमआरपी अनुदान — मनोज कुमार		1,16,865.00			1,16,865.00							1,16,865.00
	उप कुल	-	1,16,865.00	-	-	1,16,865.00	-	-	-	-	-	-	1,16,865.00
	<u>विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय</u>												-
	<u>जीव प्रौद्योगिक विभाग</u>												-
1	जीबीटी बिल्वर परियोजना — प्रो. ए.एम.मिश्रा												-
2	डीएसटी फोस्ट परियोजना — मनोज कुमार												-
	उप कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग	अन्य																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	अनुसूचि-3(ख) प्रायोजित अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) और छात्रवृत्ति												
		31.03.2024		वर्ष के दौरान लेनदेन							31.03.2025		
		प्रारंभिक शेष		ऋणित (सीआर.)			डेबिट (डीआर.)				जमा शेष		
क्र.सं.	परियोजना का नाम	डेबिट (डीआर.)	ऋणित (सीआर.)	प्राप्त निधि अनुदान	वसूली	कुल	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	उपरी व्यय शुल्क	अग्रिम प्रदान	फंडिंग एजेंसी को वापसी	डेबिट (डीआर.)	ऋणित (सीआर.)
1	आईसीएसएसआर डॉक्टरल फेलोशिप सत्य प्रकाश मिश्रा (डीईडीएस)		-			-							-
2	इंस्पायर फेलोशिप एसटीयूटीआई (स्तुति)		53,780.00			53,780.00							53,780.00
3	तनुश्री, सीएसआईआर अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)		78.00			78.00							78.00
4	यूजीसी – जेआरएफ अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)	7,71,097.00				(7,71,097.00)						7,71,097.00	
5	एमआरपी अनुदान (ए.एन. मिश्रा ए)		6,561.00			6,561.00							6,561.00
6	एमआरपी प्रोजेक्ट (ए.एन. मिश्रा एए)		20,000.00			20,000.00							20,000.00
7	पोलोमी चक्रवर्ती, डीएसटी इंस्पायर अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)		55,200.00			55,200.00							55,200.00
8	संदीप कुमार चौधरी, यूजीसी डीएई/सीएसआर प्रोजेक्ट		25,818.00			25,818.00							25,818.00
9	जीएटीई (गेट) छात्रवृत्ति		2.00			2.00							2.00
10	सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ (रोसेलेना मिंज)	-	-			-						-	-
11	डीएसटी अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रीत प्रकाश पीडीएफ		-	2,43,651.00		2,43,651.00	2,43,651.00						-
12	डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलो, सीयुजे अश्रेषा घोष			18,37,645.00		18,37,645.00	18,37,645.00						-
13	एसईआरबी डॉक्टरल–(डॉक्टरल) फेलोशिप प्रशांत कुमार–डीईई		4,98,000.00	13,06,800.00		18,04,800.00	18,04,800.00						-
14	ओरशांत कुमार आर्य आईसीएसएसआर अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)		-	1,98,500.00		1,98,500.00							1,98,500.00
15	आइसीएमआर, अर्पिता झा (राजकिशोर मिश्रा)		2,97,051.00			2,97,051.00	2,37,118.00						59,933.00
16	आईसीएसएसआर डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) शिमा साहा		10,000.00	1,10,000.00		1,20,000.00	1,20,000.00						-
17	आईसीएसएसआर डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (फेलोशिप), सत्य प्रकाश मिश्रा (डीईडीएस)		-	2,40,000.00		2,40,000.00	1,30,000.00						1,10,000.00
18	आईसीएसएसआर डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) नेहा कुमारी		-	1,30,000.00		1,30,000.00	1,30,000.00						-
19	आईसीएसएसआर डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) सूरज मिंज		-	2,40,000.00		2,40,000.00	1,30,000.00						1,10,000.00
20	इंस्पायर अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) अंकित अभिलाष स्वेन		-	6,41,793.00		6,41,793.00	6,41,793.00						-
21	इंस्पायर अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) शुभा श्री पात्रा		-	6,60,800.00		6,60,800.00	6,60,800.00						-
	कुल योग	7,71,097.00	9,66,490.00	56,09,189.00	-	58,04,582.00	59,35,807.00	-	-	-	-	7,71,097.00	6,39,872.00

अनुसूची 3 (ग) विश्वविद्यालय अनुदाना आयोग (यूजीसी), भारत सरकार और राज्य सरकारों से अप्रयुक्त अनुदान		
	(राशि रुपये में)	
	2024-25	2023-24
क. योजना अनुदान : भारत सरकार		
शेष राशि पिछले से लाया गया (बी/एफ)	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
कुल (क)	-	-
घटा: वापस	-	-
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	-	-
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	-	-
कुल (ख)	-	-
अप्रयुक्त अग्रेगित शेष (क-ख)	-	-
ख. यूजीसी अनुदान: योजना		
शेष राशि पिछले से लाया गया (बी/एफ)	12,98,65,510.00	(6,80,02,066.00)
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	11,61,00,000.00	31,54,87,132.00
जोड़ें: अर्जित ब्याज		
कुल (ग)	24,59,65,510.00	24,74,85,066.00
घटा: वापस	4,19,34,000.00	
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया		
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	9,01,49,515.00	11,76,19,556.00
कुल (घ)	13,20,83,515.00	11,76,19,556.00
आवश्यक अनुदान अग्रेगित (घ-ग) (केवल यदि है)		
अप्रयुक्त अग्रेगित (ग-घ) (केवल यदि है)	11,38,81,995.00	12,98,65,510.00
ग. यूजीसी अनुदान: गैर योजना		
शेष राशि पिछले से लाया गया (बी/एफ)	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
कुल (च)	-	-
घटा: वापस	-	-
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	-	-
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	-	-
कुल (छ)	-	-
अप्रयुक्त अग्रेगित (च-छ)	-	-
घ. राज्य सरकारों से अनुदान		
शेष राशि पिछले से लाया गया (बी/एफ)	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
कुल (ज)	-	-
घटा: वापस	-	-
घटा: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	-	-
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया	-	-
कुल (झ)	-	-
अप्रयुक्त अग्रणीत (ज-झ)	-	-
कुल योग (क+ख+ग+घ)	11,38,81,995.00	12,98,65,510.00

अनुसूची - 4 (योजना) अचल संपत्तियाँ एवं मूल्यहास												(राशि रुपये में)
क्र.स.	संपत्ति मद	दर	सकल संपत्तियाँ (ग्रेस ब्लॉक)				मूल्यहास				शुद्ध संपत्तियाँ (नेट ब्लॉक)	
			01- 04- 2024 को प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान विलोपन	31. 03.2025 को अंतिम शेष	01.04.2024 को संचयी मूल्यहास	अवधि के लिए मूल्यहास	मूल्यहास समायोजन	31. 03.2025 को कुल मूल्यहास	31. 03.2025 को शेष	31. 03.2024 को शेष
1	भूमि — पूर्ण स्वामित्व	0.00%	1.00			1.00	-	-		-	1.00	1.00
2	साइट विकास (अस्थायी और स्थायी परिसर)	0.00%	15,43,990.00	5,89,983.00		21,33,973.00		-		-	21,33,973.00	15,43,990.00
3	भवन (अस्थायी परिसर/ स्थायी परिसर)	2.00%	82,38,07,586.00	73,34,31,177.00		1,55,72,38,763.00	12,63,71,474.82	3,11,44,775.26		15,75,16,250.08	1,39,97,22,512.92	69,74,36,111.18
4	सड़कें एवं पुलें	2.00%	29,64,614.00			29,64,614.00	2,63,346.45	59,292.28		3,22,638.73	26,41,975.27	27,01,267.55
5	नलकूप एवं जलापूर्ति (अस्थायी परिसर)	2.00%	38,27,853.00			38,27,853.00	7,72,430.01	76,557.06		8,48,987.07	29,78,865.93	30,55,422.99
6	मल-व्यवस्था (सिवरेज) एवं जल निकासी	2.00%	-			-	-	-		-	-	-
7	विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	5.00%	3,30,76,009.40	13,33,08,846.00		16,63,84,855.40	90,51,625.99	83,19,242.77		1,73,70,868.76	14,90,13,986.64	2,40,24,383.41
8	कारखाना एवं मशीनरी	5.00%	1,52,60,364.00	54,93,049.00		2,07,53,413.00	1,06,17,205.68	10,37,670.65	(25,515.00)	1,16,29,361.33	91,24,051.67	46,37,488.92
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8.00%	7,21,37,606.00	18,07,893.00		7,39,45,499.00	4,09,17,653.54	59,15,639.92	(10,56,514.00)	4,57,76,779.46	2,81,68,719.54	3,15,19,271.76
10	कार्यालय उपकरण	7.50%	58,06,675.00	7,56,195.00		65,62,870.00	44,42,108.34	4,92,215.25		49,34,323.59	16,28,546.41	13,64,566.66
11	श्रव्य एवं दृश्य उपकरण	7.50%	2,15,02,018.00	1,03,55,394.00		3,18,57,412.00	74,58,726.38	23,89,305.90	(93,211.60)	97,54,820.68	2,21,02,591.32	1,36,95,491.22
12	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	20.00%	8,23,64,487.00	4,24,93,703.00		12,48,58,190.00	5,45,61,580.40	2,49,71,638.00		7,95,33,218.40	4,53,24,971.60	2,78,02,906.60
13	फर्नीचर, जुड़नार (फिक्सचर), और फीटिंग्स	7.50%	23,17,41,630.60	62,41,853.00		23,79,83,483.60	9,10,35,936.10	1,78,48,761.27	(5,252.40)	10,88,79,444.97	12,91,04,038.63	14,06,56,672.50
14	वाहन	10.00%	1,59,05,606.00	18,31,464.00		1,77,37,070.00	94,94,110.75	17,73,707.00		1,12,67,817.75	64,69,252.25	64,11,495.25
15	पुस्तकालय किताब एवं वैज्ञानिक जर्नल	10.00%	9,71,90,222.00	41,63,863.00		10,13,54,085.00	5,93,28,605.17	1,01,35,408.50		6,94,64,013.67	3,18,90,071.33	3,78,61,616.83
16	अन्य	10.00%	-			-	-	-		-	-	1,16,395.50
17	श्रव्य दृश्य (ओडियो विजुअल) स्टूडियो	7.50%	62,08,200.00	1,46,55,041.00		2,08,63,241.00	-	15,64,743.08		15,64,743.08	1,92,98,497.93	62,08,200.00
	कुल (क)		1,41,33,36,862.00	95,51,28,461.00	-	2,36,84,65,323.00	41,43,14,803.63	10,57,28,956.94	(11,80,493.00)	51,88,63,267.57	1,84,96,02,055.55	99,90,35,281.37
18	पूजीगत कार्य प्रगति पर		2,71,03,72,442.74	31,44,35,526.00	89,35,81,054.00	2,13,12,26,914.74	-	-	-	-	2,13,12,26,914.74	2,71,03,72,442.74
	कुल (ख)		2,71,03,72,442.74	31,44,35,526.00	89,35,81,054.00	2,13,12,26,914.74	-	-	-	-	2,13,12,26,915.00	2,71,03,72,442.74
क्रं.स.	अमूर्त संपत्ति	दर	31. 03.2024 को शेष	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान विलोपन	31. 03.2025 को कुल	तारीख तक मूल्यहास	अवधि के लिए मूल्यहास	मूल्यहास समायोजन	कुल मूल्यहास	31. 03.2025 को शेष	31. 03.2024 को शेष
19	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	24,46,604.00	4,57,560.00	-	29,04,164.00	18,70,424.20	4,13,496.00	9,916.00	22,93,836.20	6,10,327.80	5,62,957.80
20	ई- शोध पत्रिकाएं (ई- जर्नल)	40%	81,08,804.00		-	81,08,804.00	79,58,224.94	1,50,578.06		81,08,803.00	1.00	1,50,579.06
21	पेटेंट और कॉपीराइट	9 years	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (ग)		1,05,55,408.00	4,57,560.00	-	1,10,12,968.00	98,28,649.14	5,64,074.06	9,916.00	1,04,02,639.20	6,10,328.80	7,13,536.86
	कुल (क+ख+ग)		4,13,42,64,712.74	1,27,00,21,547.00	89,35,81,054.00	4,51,07,05,205.74	42,41,43,452.77	10,62,93,031.00	(11,70,577.00)	52,92,65,906.77	3,98,14,39,299.35	3,71,01,21,260.97

अनुसूची – 5 निर्धारित निधि से निवेश <input type="checkbox"/>	राशि		राशि
– केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	-		-
– राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-		-
– अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	-		-
– शेयरों	-		-
– डिबेंचर एवं बांड	-		-
– बैंक के साथ सावधि जमा	-		-
– अन्य (निर्दिष्ट किया जाएगा)	-		-
कुल	-		-

अनुसूची – 6	निवेश-अन्य		
	राशि		राशि
– केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	-		-
– राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-		-
– अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-		-
– शेयरों	-		-
– डिबेंचर एवं बांड	-		-
–अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-		-
	-		-
कुल	-		-

अनुसूची – 7	वर्धमान सम्पत्ति <input type="checkbox"/>	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
1. भंडार भंडार (स्टॉक) और पूर्ण (स्पेयर) — डील (ड्रॉ) एवं उपकरण — प्रकाशन — प्रयोगशाला सहायन उपभोग्य और कांच के सामान — निर्माण सामग्री — विद्युत सामग्री — लेखन सामग्री — जल आपूर्ति सामग्री		- - - - - - - -			
2. विविध रेनवार (रेन्टल) —छह महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण —अन्य		- -			
3. गजरी और बैंक से: अ) अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खाता आरबीआई खाता संख्या –10671301114 पीएनबी 7277000100013853 सीयूजे एलुमनाई खाता पीएनबी 7277000100013880 ग्रेट हाउस खाता पीएनबी 7277000100013905 सीयूजे ओवर डेड खाता पीएनबी 7277000100014831 सीयूजे हॉस्टल फी खाता पंजाब नेशनल बैंक 7277000100006444 पीएनबी ट्वीएस कॉन्स्ट्रेसी खाता 7277000100013251 पंजाब नेशनल बैंक 7277000100008372 पीएनबी एनपीएस खाता 7277000100013066 पंजाब नेशनल बैंक 7277002100000068 पंजाब नेशनल बैंक 727700100004002 पंजाब नेशनल बैंक 7277001000002217 पंजाब नेशनल बैंक 7277001100000014 पंजाब नेशनल बैंक—रेलन खाता 7277000100010236 पंजाब नेशनल बैंक 7277000100006879 पंजाब नेशनल बैंक— रेक. (आरसी) 7277000100006860 पंजाब नेशनल बैंक—एनएसएस 7277000100004659 इंस्टिच्यु बैंक 21525023720 इंस्टिच्यु बैंक 21525022160 एचडीएफसी बैंक 50100241762240 अटॉसीआइसीआई बैंक 017501022107 एसबीआई खाता 42084803281 प्रोफेशनल टैक्स मार्सेलिय स्टेट बैंक 30827946251 केनरा बैंक 4904101000560 केनरा बैंक 4904101000561 केनरा बैंक 4904101000562 केनरा बैंक 4904101000563 सीयूजे कॉन्जन मनी खाता 7277000100014269 पीएनबी सीयूजे 7277000100010555		- 1,03,29,352.00 715,908.51 45,42,560.00 1,60,31,216.00 54,805.12 2,30,892.00 2,35,965.00 89,15,132.00 25,35,208.47 (13,33,271.94) 1,14,012.27 52,418.62 4,58,94,858.03 1,03,78,849.82 9,83,502.55 18,91,551.90 27,23,281.48 30,13,732.50 8,28,494.99 4,72,245.60 1,38,141.00 1,08,603.81 78,77,424.00 15,57,54,285.00 63,88,322.00 7,10,50,975.74 106.00 5,16,908.00		- 31,889.00 3,67,818.51 29,14,928.00 96,401.00 53,871.54 2,24,599.00 12,552.00 1,09,77,731.00 52,77,402.08 54,574.66 51,391.87 53,224.62 6,20,39,176.03 75,226.82 (28,12,712.30) 20,82,114.90 1,04,68,609.48 34,18,482.50 8,04,148.99 4,47,253.00 1,32,108.00 45,49,388.81 68,29,274.00 15,15,06,532.00 61,71,477.00 6,39,61,893.24 102.00 5,03,087.00	
सावधि पचा खाते एफडीआर प्रारम्भिक शेय योग: बैंक के साथ एफडीआर योग: प्रारत म्याज के साथ घटा: एफडीआर परिपक्व/ भुगतान/ टीटीएस		71,78,76,892.00 18,00,00,000.00 2,22,73,460.00 11,26,61,037.00		28,85,21,068.00 40,36,54,702.00 2,60,01,435.00 3,00,313.00	
स्वीप खाता पंजाब नेशनल बैंक मार्सेलिय स्टेट बैंक इलाहाबाद बैंक पंजाब नेशनल बैंक स्वीप–विदेश भुगतान पंजाब नेशनल बैंक स्वीप– मैस शुल्क पंजाब नेशनल बैंक स्वीप– भर्ती पंजाब नेशनल बैंक स्वीप–आवर्सी पंजाब नेशनल बैंक स्वीप– पूंजी खाता पंजाब नेशनल बैंक स्वीप– अनुसंधान परियोजना		8,33,20,000.00 69,18,719.00 14,50,000.00 1,04,40,000.00 32,45,000.00 3,16,45,000.00 2,05,65,000.00 2,64,45,000.00	35,04,45,480.72 80,74,89,315.00 18,40,28,719.00	6,63,80,000.00 13,25,547.00 13,80,000.00 39,70,000.00 20,20,000.00 2,29,55,000.00 4,93,15,000.00 1,95,30,000.00	33,02,92,544.75 16,68,75,547.00
अ) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि पचा खाते बचत खाता					
4. बाक्यर बचत खाता					
कुल			1,34,19,63,514.72		1,21,50,44,983.75

अनुसूची – 8	ऋण, अग्रिम और जमा	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
ऋण, अग्रिम और जमा					
1. कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज रहित)					
: वेतन		91,18,006.27		97,77,816.17	
: उत्सव					
: एलटीसी अग्रिम					
: चिकित्सा अग्रिम					
: संगोष्ठी और कार्यशाला अग्रिम					
: शैक्षणिक परियोजना निधि अग्रिम		10,40,796.00			
: यात्रा/खेल अग्रिम आदि			1,01,58,802.27		97,77,816.17
2. लंबी अवधि के लिए कर्मचारियों को अग्रिम (सब्याज)					
: वाहन ऋण					
: गृह ऋण					
: कम्प्यूटर ऋण			0.00		0.00
3. अग्रिम और अन्य राशि नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य					
— पूंजी खाते पर अग्रिम		4,24,93,422.00		5,14,93,422.00	
— आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम					
— अन्य		8,69,707.60	4,33,63,129.60	19,71,938.00	5,34,65,360.00
4. पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय					
— बीमा/किराया		1,155.00		1,155.00	
— विविध व्यय उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया है			1,155.00	0.00	1,155.00
5. जमा					
— टेलीफोन					
— लीज किराए				0.00	
— बिजली					
— किराया जमा		13,11,354.00		13,11,354.00	
— अन्य (राजभाषा हिन्दी, यूजीसी)		41,98,165.00		41,98,165.00	
— अन्य (जमा एवं अग्रिम)		10,03,875.00	65,13,394.00	10,03,875.00	65,13,394.00
6. आय उपार्जित लेकिन देय नहीं					
— निर्धारित / बंदोबस्ती निधि से निवेश पर		2,70,42,464.00			
— अन्य के निवेश पर					
— ऋणों और अग्रिम पर					
— अन्य		0.00	2,70,42,464.00		0.00
7. अन्य — यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त वर्तमान संपत्तियां					
— प्रायोजित परियोजनाओं 3(क) में डेबिट शेष		75,24,763.00		1,17,77,453.00	
— प्रायोजित फेलोशिप और छात्रवृत्ति (3ख) में डेबिट शेष		7,71,097.00		7,71,097.00	
— अनुदान प्राप्य (यूजीसी से स्वीकृति नहीं प्राप्त)					
— यूजीसी 3ग से अन्य प्राप्य		0.00	82,95,860.00		1,25,48,550.00
8. प्राप्य दावें					
कुल			9,53,74,804.87		8,23,06,275.17

अनुसूची – 9	शैक्षणिक प्राप्तियाँ	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
विद्यार्थियों से शुल्क					
—शैक्षणिक					
1. ट्युशन शुल्क	5,85,11,160.00			5,51,39,286.00	
2. प्रवेश शुल्क	15,41,400.00			12,81,500.00	
3. शैक्षिक क्षेत्र का दौरा					
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	22,83,500.00			21,58,700.00	
5. बिजली शुल्क					
6. खेल कोचिंग शुल्क					
7. पंजीकरण शुल्क	26,02,114.00			37,83,209.00	
8. पाठ्यक्रम शुल्क			6,49,38,174.00		6,23,62,695.00
—परीक्षा					
1. परीक्षण एवं परीक्षा शुल्क	62,74,000.00			57,40,760.00	
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क					
3. अंक पत्र शुल्क, प्रमाण पत्र शुल्क	7,36,000.00			11,99,000.00	
4. अन्य— सीयूसीईटी परीक्षा शुल्क			70,10,000.00		69,39,760.00
—अन्य शुल्क					
1. चिकित्सा शुल्क	26,56,000.00			24,30,318.00	
2. छात्रावास शुल्क	1,40,01,389.00			55,56,900.00	
3. परिवहन शुल्क	28,89,500.00			35,70,000.00	
4. पहचान पत्र शुल्क					
5. जुर्माना/ विविध आय	2,96,076.00			2,57,037.00	
6. एनएसएस शुल्क				43,190.00	
7. दीक्षांत समारोह शुल्क				13,26,000.00	
8. सांस्कृतिक शुल्क					
9. अन्य शुल्क	1,08,72,283.00		3,07,15,248.00	2,77,56,307.72	4,09,39,752.72
प्रकाशनों की बिक्री					
—प्रवेश फार्म की बिक्री					
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ					
— कार्यशाला, संगोष्ठी कार्यक्रमों आदि के लिए प्राप्तियाँ					
कुल			10,26,63,422.00		11,02,42,207.72

अनुसूची – 10	अनुदान प्राप्त / सस्तिडी (अपरिवर्तनीय अनुदान प्राप्त हुआ)	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
योजना अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से		68,19,73,979.00	68,19,73,979.00	60,84,88,471.00	60,84,88,471.00
			68,19,73,979.00		60,84,88,471.00

अनुसूची – 11 निवेश से आय			
1. ब्याज – सरकारी प्रतिभूतियों पर – अन्य बांड और डिबेंचर 2. सावधि जमाराशियों पर ब्याज 3. सावधि जमा / कर्मचारियों को सब्याज अग्रिम पर अर्जित आय 4. बचत बैंक खाते पर ब्याज 5. अन्य निर्धारित / बंदोबस्ती कोष में हस्तांतरित	कुल	निर्धारित / बंदोबस्ती कोष	अन्य निवेश
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		-	-
		-	-
		2,21,08,455.00	2,38,49,591.00
शेष		2,70,42,464.00	21,51,844.00
		-	-
		-	-
		-	-
		4,91,50,919.00	2,60,01,435.00
		-	-
		-	-
		-	-

अनुसूची – 12	अर्जित ब्याज	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
अनुसूचित बैंको के बचत खातों पर		1,25,03,659.00		2,15,29,978.00	
ऋणों पर				-	
—कर्मचारियों/ स्टाफ		25,687.00			
— अन्य				-	
देनदारों (डेटर्स) और अन्य प्राप्तियों पर			1,25,29,346.00		2,15,29,978.00
			1,25,29,346.00		2,15,29,978.00

अनुसूची - 13	अन्य आय	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
क. भूमि एवं भवन से आय					
- छात्रावास के कमरे का किराया		8,45,251.00		4,12,348.64	
- लाइसेंस शुल्क					
- सभागार / खेल मैदान / कन्वेंशन सेंटर आदि का किराया शुल्क		51,022.72		20,892.00	
- विद्युत शुल्क वसूल किया गया					
- जल शुल्क वसूल किया गया					
कुल			8,96,273.72		4,33,240.64
ख. संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री					
ग. . आयोजन कार्यक्रम से आय					
1. वार्षिक समारोह / खेल कार्निवल से सकल प्राप्तियां					
घटा : वार्षिक समारोह / खेल कार्निवल पर प्रत्यक्ष खर्च					
2. उत्सव से सकल प्राप्तियों					
घटा: उत्सव पर प्रत्यक्ष खर्च					
3. शैक्षिक पर्यटन से सकल प्राप्तियां					
घटा : शिक्षा पर्यटन पर प्रत्यक्ष खर्च					
4. अन्य (योगदान प्राप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम / सेमिनार)		2,09,066.39		-	
कुल			2,09,066.39		-
घ. अन्य					
1. कंसल्टेंसी से आय					
2. रॉयल्टी से आय					
3. आवेदन पत्र की बिक्री		11,03,057.65		1,58,840.00	
4. विविध रसीद (निविदा प्रपत्र, बेकार कागज, आदि की बिक्री)		4,94,906.00		70,955.00	
5. परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ					
- स्वामित्व वाली संपत्ति					
- लागत से मुक्त प्राप्त संपत्ति					
6. संस्थानों, कल्याणकारी निकायों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अनुदान / दान					
7. अवकाश वेतन अंशदान की प्राप्तियाँ					
8. अन्य					
- प्रायोजित परियोजनाओं से होने वाली आय					
- अतिथि / भोजन प्राप्तियां					
- अन्य प्राप्तियां					
- बटुटे खाते में डाला गया		3,29,486.00		3,59,296.51	
कुल-			19,27,449.65		5,89,091.51
कुल योग (क+ख+ग+घ)			30,32,789.76		10,22,332.15

अनुसूची – 14	पूर्व अवधि की आय	2024-25	2023-24
	– शैक्षणिक प्राप्तियां	-	-
	– निवेश से आय	1,65,005.00	-
	– अर्जित ब्याज		-
	– अन्य आय	1,00,786.00	13,20,413.00
			-
	कुल	2,65,791.00	13,20,413.00

अनुसूचि – 15		कर्मचारियों के भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
क) वेतन, मजदूरी और भत्ते						
— शिक्षक			31,69,26,239.00	42,60,10,483.00	28,10,20,443.00	38,39,15,873.00
—शिक्षकेत्तर			10,93,57,161.00		10,28,95,430.00	
ख) भविष्य निधि (प्रोवीडेंट फंड)/ एनपीएस में योगदान			4,96,56,323.00	12,77,87,726.00	5,79,27,286.00	8,45,92,433.00
ग. अन्य कोष में अंशदान			-		1,65,009.00	
घ) कर्मचारी कल्याण खर्च			-		1,13,400.00	
च) सेवानिवृत्ति व सेवांत लाभ			6,12,47,069.00		81,44,376.00	
छ) पेंशन एवं अवकाश वेतन अंशदान भुगतान			3,02,351.00		16,82,682.00	
ज) एलटीसी सुविधा			39,11,392.00		1,11,32,400.00	
झ) चिकित्सा सुविधा			56,44,212.00		29,40,761.00	
ञ) बाल शिक्षा भत्ता			54,08,679.00	12,77,87,726.00	21,99,400.00	8,45,92,433.00
ट) मानदेय			16,17,700.00		2,87,119.00	
ठ. अन्य						
कुल				55,37,98,209.00		46,85,08,306.00

अनुसूचि - 15क		कर्मचारी सेवानिवृत्त और सेवांत लाभ		
		राशि रुपये में		
विवरण	पेशन	उपदान (ग्रेच्युटी) राशि	अवकाश नकदीकरण	कुल
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	-	54,85,572.00	26,58,804.00	81,44,376.00
परिवर्धन:- अन्य संगठन से प्राप्त अंशदान का पूंजीकृत मूल्य		6,57,144.00	-	-
कुल (क)	-	61,42,716.00	26,58,804.00	81,44,376.00
घटा- वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)		31,96,118.00	24,29,639.00	56,25,757.00
31.03.25 को उपलब्ध शेष राशि - - (ग) (क-ख)		29,46,598.00	2,29,165.00	31,75,763.00
बीमांकिक (एक्चुरियल) मूल्यांकन के अनुसार 31.03.25 को अपेक्षित प्रावधान (घ)		3,43,08,429.00	2,88,67,334.00	6,31,75,763.00
क. चालू वर्ष में किया जाने वाला प्रावधान (घ-ग)		3,13,61,831.00	2,86,38,169.00	6,00,00,000.00
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				
घ. सेवानिवृत्ति पर गृह नगर यात्रा				
च. जमा संलग्न (डिपॉजिट लिक्ड) बीमा भुगतान				
कुल (क+ख+ग+घ+च)		3,13,61,831.00	2,86,38,169.00	6,00,00,000.00

अनुसूची – 16	शैक्षणिक व्यय	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
प्रयोगशाला व्यय / उपभोग्य			39,21,628.00		54,876.00
क्षेत्रकार्य (फील्डवर्क) / सम्मेलनों में भागीदारी			5,87,504.00		8,27,512.00
संगोष्ठी (सेमिनार) / कार्यशाला			10,06,930.00		2,76,410.00
अतिथि शिक्षक (विजिटिंग फैकल्टी) के लिए भुगतान					
परीक्षा व्यय			1,77,321.00		1,51,338.00
छात्र कल्याण खर्च			1,97,012.00		17,231.00
प्रवेश व्यय			1,00,405.00		2,32,279.00
दीक्षांत समारोह व्यय			1,84,953.00		56,82,452.00
प्रकाशन					
फेलोशिप, छात्रवृत्ति व वजीफा छात्रों को			85,18,324.00		94,36,855.00
शुल्क एवं सदस्यता व्यय			17,92,705.00		23,22,575.00
खेल व्यय / उपभोग्य			6,65,992.00		1,80,540.00
खेल कोचिंग व्यय					
चिकित्सा परामर्श एवं दवा			2,86,019.00		1,70,131.00
सांस्कृतिक कार्यक्रम और संबंधित व्यय			5,48,916.00		9,07,027.00
विश्वविद्यालय छात्रावास और मेस व्यय					
अन्य (नैक व्यय)			36,73,019.00		25,850.00
	कुल		2,16,60,728.00		2,02,85,076.00

अनुसूची -17	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
अवसंरचना					
बिजली और उर्जा शुल्क		1,08,33,161.00		1,09,03,761.20	
ईंधन खर्च- जनरेटर / वाहन		1,13,01,365.00		1,26,35,750.00	
बीमा					
किराया, उपकरण और कर		22,39,502.00	2,43,74,028.00	21,47,850.00	2,56,87,361.20
संचार					
डाक खर्च और तार		31,503.60		20,411.00	
दूरभाष / रिचार्ज / बेबसाईट व्यय		47,85,816.00	48,17,319.60	16,43,312.00	16,63,723.00
अन्य					
छपाई एवं लेखन सामग्री		47,35,372.00		14,44,701.00	
यात्रा और भ्रमण व्यय		21,94,596.00		33,11,640.00	
आतिथ्य व्यय		3,18,459.00		19,09,322.00	
कानूनी व्यय		16,83,818.00		1,80,347.00	
लेखांकन रखरखाव (रिटेनरशिप) और अन्य व्यावसायिक शुल्क		2,59,820.00			
बैठक व्यय		3,33,911.00		4,34,380.00	
लेखा- परीक्षण शुल्क					
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय		8,95,164.00		12,11,396.00	
समाचार पत्र और पत्रिका (जर्नल) व्यय		2,57,744.00		2,85,150.00	
सुरक्षा व्यय		3,35,30,618.00		2,90,34,463.00	
परामर्श, कानूनी एवं अन्य शुल्क		1,80,884.00		13,08,274.00	
अन्य सामान्य, कार्यालय रखरखाव का खर्च		25,48,541.00	4,69,38,927.00	24,53,031.00	4,15,72,704.00
कुल			7,61,30,274.60		6,89,23,788.20

अनुसूची – 18	परिवहन व्यय		2024-25		2023-24
1. संस्थान के स्वामित्व वाला वाहन — बीमा खर्च			2,87,059.00		2,69,955.00
2. किराए और पट्टे पर लिया गया वाहन			86,32,672.00		1,01,16,932.00
3. वाहन किराए पर लेने का व्यय			89,19,731.00		1,03,86,887.00
कुल					

अनुसूची – 19	मरम्मत एवं रखरखाव	2024-25	2024-25	2023-24
कार्यालय और भवन के रखरखाव		1,19,299.00		1,48,155.00
कारखाना एवं मशीनरी (पी एंड एम) और उपकरणों की मरम्मत व रखरखाव		92,89,479.00		24,01,027.00
परिसर / बागवानी और संपदा (एस्टेट) रखरखाव		1,77,84,398.00		62,42,108.00
सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव		96,77,559.00		8,38,069.00
विश्वविद्यालय हाउस कीपिंग (गृह व्यवस्था) एवं सफाई शुल्क		2,49,16,669.00		2,31,30,048.00
अतिथि गृह रखरखाव		4,26,074.00		2,95,331.00
	कुल	6,22,13,478.00		3,30,54,738.00

अनुसूची – 20	वित्तीय लागत		2023-24		2022-23
बैंक शुल्क			17,864.00		97,129.40
ब्याज, उपकर और कर					15,022.00
कर अनुपालन में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क			17,864.00		1,12,151.40
कुल					

अनुसूची – 21	अन्य व्यय	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
	अशोध और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान				-
	अपरिवर्तनीय शेष राशि खातों से समाप्त की गई				-
	अन्य संस्थानों/ संगठनों को अनुदान / छूट (सब्सिडी				-
	विविध व्यय – खातों से समाप्त की गई (विविध संपत्तियों से)				-
	कुल				-

अनुसूची – 22	पूर्व अवधि के व्यय	2024-25	2024-25	2023-24	2023-24
— स्थापना व्यय			91,00,976.00		33,37,289.00
— शैक्षणिक व्यय					27,90,196.00
— प्रशासनिक व्यय					
— परिवहन					
— मरम्मत व रखरखाव					
— अन्य व्यय					
कुल			91,00,976.00		61,27,485.00

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

परिसर — चेरी मनाहु, जिला राँची — 835222

झारखंड

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

प्राप्ति	2024-25	2023-24	भुगतान	2024-25	2023-24
1. प्रारम्भिक शेष — हाथ में नकद — बैंक में नकद — चालू खाते में — स्वीप खाते में — बचत खाते में	16,68,75,547.00 33,02,92,544.75	24,32,90,547.00 53,74,85,933.20	1. व्यय — स्थापना व्यय — शैक्षिक व्यय — प्रशासनिक व्यय — परिवहन — मरम्मत और रखरखाव — पूर्व अर्पित व्यय	37,98,80,171.00 4,56,21,902.02 - 55,89,772.00	34,33,46,756.00 4,50,69,646.40 - 15,72,034.00
2. अनुदान प्राप्त — भारत सरकार से — राज्य सरकार से — अन्य स्रोतों से (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एनडीए))	1,03,66,88,877.80	1,03,68,37,238.00	2. नामित / निर्धारित / बंदोबस्ती निधि के निमित्त भुगतान — एम.ई.एफ.ए. (ईका) को भुगतान किया	25,67,20,000.00	26,57,20,000.00
3. शैक्षिक प्राप्ति — शुल्क और अन्य — विदाओं द्वारा जमा — आवेदन से प्राप्ति — अतिथि गृह और भोजन से प्राप्ति	11,68,08,369.00 1,66,56,629.00 3,29,486.00	12,14,40,448.72 1,19,800.00 3,59,296.51	3. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त भुगतान — प्रमुख अनुसंधान परियोजना (एमआरसी) के लिए भुगतान	4,88,48,151.00	2,97,22,434.00
4. नामित / निर्धारित / बंदोबस्ती निधि के निमित्त प्राप्ति — एम.ई.एफ.ए. (ईका) से प्राप्ति	70,41,226.50	54,86,549.00	4. प्रायोजित अध्येतागति (फेलोशिप) / छात्रवृत्ति के निमित्त भुगतान — अध्येतागति (फेलोशिप) कार्यक्रम के लिए भुगतान किया	1,14,06,222.00	1,26,11,280.00
5. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त प्राप्ति — प्रमुख अनुसंधान परियोजना (मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स) अनुदान	6,02,07,126.00	3,80,97,984.00	5. निवेश और जमा किए गए — निर्धारित / बंदोबस्ती निधि में से — निधि से (निवेश-अन्य)	- -	- -
6. प्रायोजित अध्येतागति (फेलोशिप) / छात्रवृत्ति के लिए भुगतान — अध्येतागति (फेलोशिप) कार्यक्रम	1,08,72,168.00	94,91,778.00	6. अनुप्राप्ति बैंकों के साथ सावधि जमा — निवेश किया	18,01,11,000.00	40,36,54,702.00
7. निवेश प्रयोजन पर आय : — निर्धारित / बंदोबस्ती निधि — अन्य निवेश			7. अचल संपत्ति और पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय — अचल संपत्ति — पूंजीगत कार्य प्रगति पर		
8. प्राप्त व्याज — बैंक जमा से — अन्य और अग्रिम से — बचत बैंक खाता से — पूंजीगत अनुदान से — कर्मचारी अग्रिम से	1,27,85,202.00 86,47,453.00 25,687.00	2,17,25,341.00	8. वैधानिक भुगतान सहित अन्य भुगतान — सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) / अराधारी भविष्य निधि (सीपीएफ) / राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए भुगतान — स्रोत पर कर की कटौती — व्यावसायिक कर का भुगतान — शुल्क, उपकार और कर — व्याज भुगतान एम.ई.एफ.ए. (ईका) को	3,59,88,361.00 7,51,92,608.00 5,37,396.00 4,03,57,622.00	3,36,34,019.00 5,55,87,498.00 5,03,997.00 15,022.00 4,25,24,408.00
9. निवेश भुगतान		3,00,313.00	9. लौटाई गई अनुदान राशि		
10. अनुप्राप्ति बैंकों में सावधि जमा भुगतान गया — निवेश का विनोदन	11,26,69,912.00	91,26,177.00	10. जमा और अग्रिम — बचत जमा (ट्रेडिंग) से — आकस्मिकता के निमित्त कर्मचारियों को अग्रिम — अनुप्राप्तियों को अग्रिम — विवादों को जमा राशि लौटाई गई	32,46,500.00 1,14,68,599.21 54,42,000.00	30,23,930.00 77,18,226.22 14,68,000.00
11. अन्य आय (पूर्व अर्पित जो आय सहित) — निविदा प्रस्तावों की विनि — संपत्ति / प्रायोजन	1,67,000.00 37,57,323.00	68,500.00 2,68,000.00	11. अन्य भुगतान — देयदारों (क्रेडिटर्स) को भुगतान (राजस्व और पूंजीगत घटो के लिए) — विविध भुगतान	25,81,37,489.00 43,71,283.41	28,36,02,932.00 22,93,169.00
12. जमा एवं अग्रिम — बचत जमा (ट्रेडिंग) से — स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) भारती योग्य से — कर्मचारी अग्रिम से	1,02,47,104.00 14,70,351.00	37,67,198.50	12. अतिरिक्त शेष — हाथ में नकद — बैंक में नकद — चालू खाते में — जमा (डिपॉजिट) खाते में — स्वीप खाते — जमा (सैविंग) खाते में	- - - 18,40,28,719.00 35,04,45,480.72	- - - 16,68,75,547.00 33,02,92,544.75
13. वैधानिक प्राप्ति सहित विविध प्राप्ति					
14. कोई अन्य प्राप्ति — कुलसचिव — राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीएनडीईटी परीक्षा के लिए) — पृथ्वी राजभाषा दिवस — विविध प्राप्ति	18,51,270.06	13,71,040.64			
कुल	1,89,73,93,276.11	2,02,92,36,144.57		1,89,73,93,276.36	2,02,92,36,145.37

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए

(पी. के. पण्डा)
वित्त अधिकारी

क्षिति भूषण दास
(प्रो. के.बी.दास)
कुलपति

स्थान: चेरी मनाहु, राँची
दिनांक : 25/06/2025

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) टीयर – 1 खाता

31 मार्च, 2025 तक का तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

देयताएं	राशि		संपत्तियाँ	राशि	राशि
एनपीएस टीयर 1 खाता			एनपीएस टीयर 1 खाता		
दिनांक 01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	1,22,35,484.00				-
			निवेश		68,03,424.00
जोड़ें: कर्मचारी योगदान	3,91,54,735.00				
जोड़ें: विश्वविद्यालय योगदान	4,96,56,323.00				
जोड़ें: जमा किया गया ब्याज			बैंक में शेष		78,71,085.00
घटा: एनएसडीएल को स्थानांतरण	8,63,72,033.00				
व्यय से अधिक आय					
दिनांक 01.04.2025 को शेष राशि		1,46,74,509.00			
कुल		1,46,74,509.00	कुल		1,46,74,509.00

राष्ट्रीय पेंशन योजना टीयर –1 खाता

वित्तीय वर्ष 2024.25 के लिए आय और व्यय खाता

(राशि रुपये में)

व्यय	राशि	आय	राशि
अभिदाता के खातों में जमा ब्याज	-	निवेश पर अर्जित ब्याज	-
बैंक शुल्क	-	घटा: 31/03/2024 को प्रोद्भूत ब्याज	-
व्यय से अधिक आय	-		
कुल	-	कुल	-

राष्ट्रीय पेंशन योजना टीयर -1 खाता			
प्राप्तियाँ और भुगतान खाता वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए			
(राशि रुपये में)			
प्राप्तियाँ	राशि	भुगतान	राशि
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	54,32,060.00	निवेश	
अपना अंशदान	3,91,54,735.00	एनएसडीएल को हस्तांतरण	3,59,88,361.00
विश्वविद्यालय योगदान	4,96,56,323.00	एनएसडीएल को हस्तांतरण	5,03,83,672.00
निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	31/03/2025 को समापन शेष	78,71,085.00
बैंक बचत खाते पर ब्याज	-		
निवेश भुनाया गया	-		
कुल	9,42,43,118.00	कुल	9,42,43,118.00

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

चेरी-मनातू, जिला – रांची- 835222

झारखंड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणी !

अनुसूची – 23: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार, केंद्रीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित खाते के नए प्रारूप में और ऐतिहासिक लागत सिद्धांत के अंतर्गत भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं अन्यथा वर्णित को छोड़कर।

2. राजस्व मान्यता:

- सभी अनुदान/योगदान को प्रोद्भवन (एक्रुअल) आधार पर मान्यता दी जाती है यदि स्वीकृत अपरिवर्तनीय है अन्यथा नकद आधार पर और व्यय/देनदारियों को प्रोद्भवन (एक्रुअल) आधार पर मान्यता दी जाती है। सरकारी अनुदान और यूजीसी अनुदान को प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया जाता है। हालाँकि, जहां वित्तीय वर्ष से

संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त हो जाती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है और उतनी ही राशि अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दिखाई जाती है।

- छात्रों से शुल्क, प्रवेश फॉर्म की बिक्री और बचत बैंक खातों पर ब्याज का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है।
- भूमि, भवन और अन्य संपत्ति से आय और निवेश पर ब्याज का लेखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- व्यय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है और सभी ज्ञात खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है।

3. अचल सम्पत्ति और मूल्यहास:

(क) अचल सम्पत्ति को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें अधिग्रहण, स्थापना और संचालन से संबंधित सभी प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।

- परिसम्पत्तियों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शीर्षों में समूहीकृत किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ प्रारंभिक अचल परिसम्पत्तियों को ऐसे दिशा-निर्देशों और महालेखाकार परीक्षक (एजी ऑडिट) अनुशंसा के अनुपालन में पुनर्समूहीकृत किया है।
- अचल संपत्तियों पर मूल्यहास अनुसूची-4 में उल्लिखित दर पर सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर प्रदान किया जाता है और वर्ष के दौरान वृद्धि (एडिशनस) पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

- खातों की पुस्तकों में अधिग्रहण की लागत को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है और संचित मूल्यहास को अलग से दर्शाया जाता है।
- जहाँ किसी परिसंपत्ति का पूर्णतः मूल्यहास हो जाता है, उसे तुलन पत्र में ₹1/- के अवशिष्ट मूल्य पर रखा जाएगा और उस पर आगे कोई मूल्यहास नहीं किया जाएगा। इसके बाद, प्रत्येक वर्ष के योग पर मूल्यहास उस परिसंपत्ति शीर्ष के लिए लागू मूल्यहास दर पर अलग से वसूला जाता है।
- प्रायोजित परियोजना धनराशि में से सृजित की गई परिसम्पत्ति, जहां स्वामित्व प्रायोजकों के पास रहता है, लेकिन संस्थानों द्वारा धारित और उपयोग किया जाता है, का विवरण खातों के टिप्पणी में अलग से किया जाता है।
- ऐसी परिसंपत्तियाँ, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत मूल्य 2000/- रुपये या उससे कम है, पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर, को छोटे मूल्य की परिसंपत्तियाँ के रूप में माना जाता है, ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में 100% मूल्यहास प्रदान किया जाता है और इसलिए राजस्व खाते में डाला जाता है।
- सॉफ्टवेयर के अर्जन पर होने वाले व्यय को कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों (पेरिफेरल्स) से अलग कर दिया गया है क्योंकि अमूर्त परिसम्पत्ति से अलग होने के कारण, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है।

(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर: निर्माण के दौरान अर्जित अचल संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण इत्यादि तथा स्थापना के लिए लंबित अचल संपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दर्ज किया गया है। प्रमाणित रूप से पूर्ण किए गए कार्य को सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

4. अमूर्त परिसम्पत्ति :

पेटेंट और कॉपी राइट, ई- शोध पत्रिकाएँ (जर्नल्स) और सॉफ्टवेयर के अर्जन पर व्यय (कंप्यूटर और पेरिफेरल्स से अलग) को अमूर्त परिसम्पत्ति के तहत समूहीकृत किया जाता है, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। मूल्यहास, अनुसूची - 4 : अचल संपत्ति और मूल्यहास भत्ता, में उल्लिखित दरों पर प्रदान किया गया है ।

आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय की प्रकृति के आधार पर, उसके किए जाने के वर्ष से 5 से 10 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

5. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी) और छुट्टी नकदीकरण बीमांकिक (एक्चुरियल) मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक भुगतान संबंधित प्रावधानों के खतों में काटा (डेबिट) जाता है।

6. निवेश:

निवेश को "वर्तमान निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लागत या बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है।

सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को जमा प्रमाणपत्रों के आधार पर बैंक पुष्टि/गणना के अनुसार मान्यता दी गई है और अनुसूची 11 में अलग से प्रदर्शित किया गया है।

स्वीप/फ्लेक्सी खाते में प्राप्त ब्याज को बैंक में प्राप्त होने/संबंधित स्वीप/फ्लेक्सी खाता विवरण में जमा किए जाने पर मान्यता दी गई है।

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेन-देन का हिसाब-किताब, लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

8 . कर लगाना:

आयकर अधिनियम 1961 (विश्वविद्यालय को धारा 10 (23सी) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है) के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, लेखापुस्तकें में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

9. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

10. पट्टा:

पट्टे का किराया पट्टे की शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएँ:

चालू प्रायोजित परियोजना के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान देयताएं और प्रावधान" शीर्षक में जमा किया जाता है। जब भी ऐसी परियोजना के लिए किए गए व्यय/अग्रिम का भुगतान किया जाता है, या संबंधित परियोजना खाते से ओवरहेड शुल्क डेबिट किया जाता है, तो देयता खाता डेबिट कर दिया जाता है।

यूजीसी या विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा वित्त पोषित कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) का हिसाब प्रायोजित परियोजना के समान ही किया जाता है, सिवाय इसके कि व्यय आम तौर पर केवल अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के वितरण पर होता है जिसमें अध्येता (फेलो) और विद्वानों (स्कॉलर) द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए भत्ता शामिल हो सकता है।

12. आकस्मिक देनदारियाँ:

देनदारियां जो महत्वपूर्ण (मटेरियल) हैं और जिनके भविष्य के परिणाम को उचित निश्चितता के साथ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, उन्हें आकस्मिक माना जाता है और खातों में टिप्पणी के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

अनुसूची – 24:

आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. अनुसूची 1 से 24 संलग्न हैं और 31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का एक अभिन्न अंग हैं।
2. आकस्मिक देयताएं
 - जेबीवीएनएल के पक्ष में बैंक प्रत्याभूति (बीजी) जारी की गई, जिसे 53.90 लाख रुपये के सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के रूप में रखा गया है। उपरोक्त सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में लिया गया है।
 - सीयूजे के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में कुछ मामले लंबित हैं। इस संबंध में कुछ सावधि जमा रसीद (एफडीआर) को ग्रहणाधिकार के अंतर्गत रखा गया है जिसका मूल्य 94,14,702.00 रुपये (रुपये 86,00,000.00 + रुपये 8,14,702.00) है।
3. यूजीसी से प्राप्त अनुदान

खातों के सामान्य प्रारूप के मानदंडों के अनुसार, सहायता अनुदान को उचित रूप से अलग किया गया है और केवल राजस्व उद्देश्य के लिए अनुदान को आय और व्यय खाते में मान्यता दी गई है और पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की गई अनुदान राशि को पूंजीकृत किया गया है और संबंधित परिसंपत्तियों में दिखाया गया है और क्रमशः कैपिटल फंड में जोड़ा गया है।

4. अचल संपत्तियां:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) से अधिग्रहित की गई अचल संपत्तियों और हस्तांतरित पूर्ण पूंजीगत कार्यों की राशि ₹127 करोड़ रुपये है। मूल्यहास "अनुसूची 4" के अनुसार संबंधित संपत्तियों पर लागू दरों पर लगाया गया है।

लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, अन्य शीर्षकों के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्तियों की पहचान उचित शीर्षकों के लिए की गई और उन्हें ऐसे शीर्षकों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस स्थानांतरण के कारण मूल्यहास में ₹11.70 लाख की कमी आई, और उसका लेखा-जोखा किया गया।

कंप्यूटर, आईटी और नेटवर्किंग घटकों से संबंधित सभी परिसंपत्तियों को "कंप्यूटर और बाह्य उपकरण (पेरिफेरल्स)" शीर्षक के तहत दर्ज किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान विश्वविद्यालय को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार से चेरी मनातू, कांके प्रखंड, रांची में राज्य सरकार से दान के रूप में 319.28 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। दान के रूप में प्राप्त भूमि को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर अचल संपत्ति "भूमि-मुक्त धारित" (भूमि-फ्रीहोल्ड) के रूप में अलग से दर्शाया गया है।

5. पूंजीगत कार्य प्रगति पर:

वर्ष के दौरान ₹ 31.44 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, तथापि ऐसे कार्य प्रगति पर (डब्ल्यूआईपी) में से ₹ 89.35 करोड़ रुपये मूल्य के कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं तथा उचित शीर्षों के अंतर्गत पूंजीकृत किए गए हैं।

6. कर्मचारियों को अग्रिम:

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों को निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है: वेतन, एलटीसी अग्रिम, मेडिकल अग्रिम, संगोष्ठी और कार्यशाला अग्रिम, यात्रा/खेल आदि अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम

7. राजस्व मान्यता:

छात्रों से प्राप्त शुल्क, आवेदन शुल्क, शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त शुल्क नकद आधार पर लेखांकित किए जाते हैं। ऐसी शैक्षणिक प्राप्तियों का मूल्य ₹10.27 करोड़ है ("अनुसूची-09")

8. पूर्व अवधि की वस्तुएँ:

	राशि(रु.)	टिप्पणी
आय	2.66 लाख	ब्याज और अन्य आय
खर्च		
-स्थापना व्यय	91 लाख	
-प्रशासनिक व्यय		
-अन्य		

9. समाधान:

झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के खाते का बैंक के साथ मिलान वर्ष के दौरान किया गया है तथा प्रस्तुत नहीं किए गए या बाद में पुनः जारी किए गए सभी पहचान योग्य चेकों के लिए प्रतिवर्ती प्रविष्टियां की गईं।

10 किराया:

बाम्बे स्थित प्रशिक्षण संस्थान और कुलपति आवास का किराया दिया जाता है, जो किराये पर लिए गए हैं। पट्टा समझौते के अनुसार (01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए) ₹ 22.40 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

11. जमा देयताएँ:

कोई भी दावा न की गई लंबित जमा राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विविध आय में जमा नहीं की गई है।

12. निवेश:

सावधि जमा पर अर्जित ब्याज रु. 2.70 करोड़ प्रचलित ब्याज दर के आधार पर गणना की गई को निवेश से आय के रूप में मान्यता दी गई है (अनुसूची-11)।

13. निधि का स्रोत:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यूजीसी द्वारा योजना सामान्य विकास सहायता के तहत सहायता अनुदान के रूप में ₹ 68.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, और वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हुए थे। निधि का अन्य मुख्य स्रोत छात्रों से शैक्षणिक प्राप्तियां हैं जो वर्ष के दौरान ₹10.27 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं।

14. वर्तमान देनदारियां:

प्रायोजित अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)/प्रायोजित परियोजना के विरुद्ध देयता को अलग से हिसाब में लिया गया है और अनुसूची 3(क) और 3(ख) निधि शेष दिखाए गए हैं जो कुछ विशेष परियोजना कार्य और अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) और छात्रवृत्ति के लिए दिए गए हैं।

अनुसूची 3(ग) अचल संपत्ति परियोजनाओं की खरीद के उपयोग के बाद शेष पूंजी निधि को दर्शाती है

वर्ष 2024-25 के दौरान, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थायी परिसर, चेरी-मनातू में भवन निर्माण के उद्देश्य से उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा))से ऋण दिया गया है। ऋण सीधे लेनदारों (क्रेडिटर्स) को किए गए भुगतान के रूप में था। 31 मार्च, 2025 को बकाया ऋण राशि रु. 73.63 करोड़ थी। यह राशि वर्तमान देनदारियों के शीर्षक के तहत विशेष निधि- देय/अप्रयोग्य के रूप में दिखाई गई है।

15. प्राप्ति एवं भुगतान खाता आवश्यकतानुसार “संलग्न”।

16. वर्तमान संपत्ति

अनुसूची 7 में नकदी एवं बैंक शेष शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न बचत बैंक खातों में ₹ 35.04 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न बचत बैंक खातों में पड़ी राशि के रूप में दिखाया गया है (पिछले वर्ष के ₹ 33.02 करोड़ रुपये की शेष राशि की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है), जिसमें से ₹ 24.11 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी के साथ लेन-देन हेतु केनरा बैंक के चार खातों में रखे गए हैं।

बचत खाते से अतिरिक्त शेष राशि को स्वीप खाते नामक अस्थायी सावधि जमा खाते में स्थानांतरित करने के लिए बैंक के साथ एक व्यवस्था है। ऐसे खातों में उपलब्ध शेष राशि ₹18.40 करोड़ रुपये है।

17. अनुसूची 9 में - शैक्षणिक प्राप्तियों, विश्वविद्यालय की शुल्क संरचना के अनुसार ₹1.09 करोड़ रुपये की अन्य शुल्क दर्शाई गई है, जिसमें स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय का हिस्सा ₹42.67 लाख रुपये शामिल है। तथापि, अन्य निधि की विभाजन प्रविष्टि हेतु, संबंधित विभाग से सॉफ्टवेयर अद्यतन हेतु अनुरोध किया गया है।
18. अनुसूची 17 में, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय अवसंरचना शीर्ष के अंतर्गत ₹1.08 करोड़ रुपये विद्युत शुल्क और ₹1.13 करोड़ रुपये ईंधन शुल्क के रूप में दर्शाए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 से कम हैं। यह राशि परिसर में नए भवनों के सम्मिलन के कारण है और इसका भुगतान विद्युत विभाग से प्राप्त बिल के अनुसार किया जाता है। हालाँकि, सीयूजे प्रबंधन ने सौर ऊर्जा पैनल लगाने की पहल की है, जिससे भविष्य में ईंधन और बिजली के खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी।
19. **सेवानिवृत्ति हितलाभ**
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) देयता के लिए बीमांकिक मूल्यांकन अनुमान ₹12.91 करोड़ रुपये और अवकाश नकदीकरण के लिए ₹11.79 करोड़ रुपये है। इस अनुमान में से चालू वर्ष की आय से ₹ 6.00 करोड़ रुपये का एक कोष सेवानिवृत्ति निधि के नाम से बनाया गया है।
20. **नई पेंशन निधि:**
नई पेंशन योजना के अनुसार, इस निधि के खाते सदस्यों के स्वामित्व में होते हैं, विश्वविद्यालय के नहीं। ये खाते विश्वविद्यालय के खातों से अलग हैं। 2024-25 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता और पेंशन योजना की तुलन पत्र (बैलेंस शीट) तैयार कर ली गई है और शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उसे 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा विवरण में संलग्न कर दिया गया है।

- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हुआ पुनर्व्यवस्थित और पुनर्समूहीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।
- आंकड़े निकटतम रुपये में पूर्णांकित किए गए हैं।
- प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ- शाखा कार्यालय रांची, झारखंड द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के अनुसार उचित शीर्षों पर समायोजन किया गया है।

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए

स्थान: चेरी मनातू , रांची

दिनांक:-25.06.2025



(पी. के. पण्डा)

वित्त अधिकारी



(प्रो. के.बी. दास)

कुलपति



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ का कार्यालय
शाखा कार्यालय: रांची, झारखंड,
पीएजी कार्यालय मुख्य भवन, 5^म फ्लोर, डोरंडा,
रांची-834002

सेवा में,
कुलपति,
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय,
चेरी मनातू, रांची।

विषय: झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), रांची के खातों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

2. पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

3. लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के सदन में रखे जाने से पहले झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची की शासी निकाय (बीओजी) द्वारा वार्षिक आम बैठक में विधिवत विचार किया और अपनाया जाना चाहिए।

4. (i) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा को शासी निकाय द्वारा अंगीकार किए जाने संबंधी के संकल्प, (ii) संसद के सदन के समक्ष इसकी प्रस्तुति की तारीख और (iii) संस्थान की वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति उचित समय पर इस कार्यालय में हमारे अभिलेख और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली को भेजने हेतु प्रेषित किया जाए।

5. हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अवलोकन किया जाए।

6. कृपया संलग्नकों सहित इस पत्र की पावती दी जाए।

आपका विश्वासी,

प्रधान निदेशक

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), लखनऊ

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

राय

हमने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उसी वर्ष समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाता शामिल है, और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिनमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 31(1) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण प्रतिवेदन / सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से प्रतिवेदित की जाती हैं।

हमारी राय में, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर आधारित टिप्पणियों और आगे प्रस्तुत होने वाली पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य विषयों के साथ पढ़ा जाए, 31 मार्च 2025 को स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति तथा उस वर्ष की समाप्ति तक उसकी वित्तीय प्रदर्शन का सच्चा एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो विश्वविद्यालय पर लागू खातों के समान प्रारूप तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों, मानकों, नियमावलियों, दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी प्रतिवेदन के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

विश्वविद्यालय की वित्त समिति, विश्वविद्यालय पर लागू लेखाओं के एकसमान प्रारूप तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, जैसा कि प्रबंधन निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करना आवश्यक है, ताकि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के गलत विवरण से मुक्त रहा जा सके।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, किसी भी महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुति से मुक्त हैं या नहीं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त किया जाए, तथा सीएजी के लेखा परीक्षा विनियमों /टिप्पणियाँ-मार्गदर्शन /दिशानिर्देश /मैनुअल /मानकों / लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/आदेश जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान:

दिनांक:

अंजना कुमारी

लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक (लखनऊ)

**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के
खातों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क. तुलन पत्र (बैलेंस शीट) : ₹ 541.88 करोड़

क.1 अचल संपत्तियाँ (अनुसूची 4): ₹ 451.07 करोड़

क.1.1 झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), रांची के खातों की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि “चेरी मनातु” परिसर में भवनों के निर्माण हेतु लिए गए एचईएफए (हेफा) ऋणों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान व्यय की गई ₹ 18.49 करोड़ की ब्याज राशि को पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय को यूजीसी से उक्त ब्याज राशि की प्राप्ति भी हुई है।

तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा इस ब्याज राशि को अनुसूची 4 में अचल संपत्तियाँ एवं पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में पूंजीकृत नहीं किया गया तथा यूजीसी से प्राप्त संबंधित ब्याज राशि को अनुसूची 3क (अन्य वर्तमान देनदारियाँ – विशेष निधि देय) एवं अनुसूची 1 (समग्र (कॉर्पस)/पूंजी निधि – एचईएफए (हेफा) निधि से पूंजीकृत परिसंपत्तियाँ) में जमा (क्रेडिट) नहीं किया गया।

इस प्रकार, लेखांकन मानक एस-16 के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप अनुसूची-4 (योजना) के अंतर्गत अचल संपत्तियों तथा मूल्यहास [सीडब्ल्यूआईपी एवं भवन (अस्थायी परिसर/स्थायी परिसर)] में कुल ₹ 18.49 करोड़ की कमी प्रदर्शित हुई तथा इसके अनुरूप पूंजी एवं देनदारियों में भी कमी प्रदर्शित हुई, जिसमें अनुसूची 3क – वर्तमान देनदारियाँ / अन्य वर्तमान देनदारियाँ – अन्य निधियाँ – विशेष निधि देय/अव्ययित (सुरक्षित ऋण) के अंतर्गत अर्जित ब्याज से संबंधित ₹ 0.93 करोड़ तथा अनुसूची 1 – (समग्र (कॉर्पस)/पूंजी निधि – एचईएफए (हेफा) निधि से पूंजीकृत परिसंपत्तियाँ के अंतर्गत एचईएफए (हेफा) से पहले से प्राप्त ब्याज से संबंधित ₹ 17.56 करोड़ सम्मिलित हैं।

B. लेखांकन नीतियाँ

निर्धारित वित्तीय विवरण प्रारूपों एवं लेखांकन मानकों से विचलन
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे) के वित्तीय विवरणों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा जारी “केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय विवरणों के प्रारूप” में निर्धारित निर्देशों एवं लेखांकन नीतियों से अनेक विचलन पाए गए हैं। इन विचलनों का सारांश निम्नानुसार है:

(i) लेखांकन नीति एवं मानक से विचलन का प्रकटीकरण न किया जाना – “निर्देश एवं लेखांकन नीतियाँ” के बिंदु संख्या 3 अनुसार (एमएचआरडी द्वारा जारी समान प्रारूप के पृष्ठ 62), निर्धारित लेखांकन नीति तथा लागू लेखांकन मानक 12 (सरकारी अनुदान) एवं एमएचआरडी द्वारा जारी निर्देशों से किसी भी प्रकार के विचलन के प्रभाव का स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। तथापि, सीयूजे द्वारा अनुदान के परिशोधन (अमोर्टाइजेशन) के उपचार एवं लेखांकन का इस आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन मानक (एस) 1 – लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण मानदंडों का अनुपालन नहीं हुआ।

(ii) अवधान-राशि (कांशन मनी) का अनुचित वर्गीकरण – अनुसूची 3 के बिंदु संख्या क (3) (एमएचआरडी द्वारा जारी समान खातों के प्रारूप के निर्देशों के पृष्ठ 70) के अनुसार, अवधान-राशि को वर्तमान छात्रों एवं पूर्व छात्रों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इन राशियों को वर्तमान तथा गैर- वर्तमान देनदारियों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सीयूजे द्वारा इन दोनों निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण प्रकटीकरण हुआ है।

(iii) वर्तमान एवं गैर- वर्तमान मदों के बीच वर्गीकरण का अभाव – बिंदु संख्या 6 के अनुसार (एमएचआरडी द्वारा जारी समान खातों के प्रारूप के निर्देशों के पृष्ठ 63), जहाँ मानक प्रारूप पर्याप्त स्पष्टता प्रदान नहीं करता है, वहाँ एक पृथक अनुसूची तैयार की जानी चाहिए। सीयूजे ने अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को वर्तमान तथा गैर- वर्तमान के रूप में विभाजित नहीं किया है, जैसे कि अनुसूची 3 में छात्रों से जमा राशि एवं अग्रिम प्राप्त अनुदान तथा अनुसूची 8 में जमा एवं निवेश, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी में एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है तथा यह लेखांकन मानक (एस) 1 एवं एस 15 – प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण मानदंडों – के सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) आकस्मिक देनदारियों से संबंधित राशि का प्रकटीकरण न किया जाना

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इकाई द्वारा खातों पर टिप्पणियों के अंतर्गत कुछ आकस्मिक देनदारियों के अस्तित्व का प्रकटीकरण किया गया है; तथापि, ऐसी देनदारियों से संबंधित विशिष्ट राशियों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। कुछ आकस्मिक देनदारियाँ न्यायालयीन वादों तथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई बैंक गारंटी आदि के रूप में विद्यमान हैं।

लेखांकन मानक पैरा 27 के एस -29 “प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ” के अनुसार, किसी उद्यम को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तिथि पर प्रत्येक श्रेणी की आकस्मिक देनदारी के लिए उसकी प्रकृति का संक्षिप्त विवरण तथा जहाँ तक संभव हो:

(i) उसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान, (ii) संसाधनों के बहिर्गमन से संबंधित अनिश्चितताओं का संकेत, तथा (iii) किसी भी प्रतिपूर्ति की संभावना, का प्रकटीकरण करना चाहिए। अतः यह चूक एएस -29 के अनुरूप नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में अपर्याप्त प्रकटीकरण हुआ है।

(v) प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित संपत्तियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना (पृष्ठ 50, बिंदु संख्या 3.3)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा संस्थान को जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूची-4 में दर्शाई गई अचल संपत्तियों में प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं होती हैं। यह परियोजना अनुबंधों में किए गए प्रावधानों के अनुरूप है, जिनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परियोजना निधि से क्रय की गई सभी संपत्तियाँ संबंधित प्रायोजकों की संपत्ति होंगी, न कि संस्थान की। तथापि, खातों की पुस्तकों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित ऐसी संपत्तियों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है, जो उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। संबंधित मार्गदर्शन के पृष्ठ 50 के बिंदु संख्या 3.3 के अनुसार, सीयूजे को ऐसी संपत्तियों का उचित प्रकटीकरण करना तथा उन्हें अचल संपत्ति अनुसूची से पृथक/बहिष्कृत करना आवश्यक है, जिससे एमएचआरडी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता बनी रहे।

(vi) संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण न किया जाना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा संस्थान को जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों तथा लेखांकन मानक एएस-18 “संबंधित पक्ष प्रकटीकरण” के अनुसार, संस्थान को वित्तीय विवरणों में सभी संबंधित पक्ष लेन-देन के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण करना आवश्यक है। ये प्रकटीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। तथापि, खातों की पुस्तकों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(vii) पूंजी, राजस्व आदि में सहायता अनुदानों (ग्रांट्स इन ऐड) के आंकड़ों का पृथक्करण न किया जाना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा अनुसूची-3 से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार, यूजीसी, भारत सरकार आदि से प्राप्त अव्ययित अनुदानों को यूजीसी (पूंजी) तथा यूजीसी (राजस्व) की श्रेणियों में पृथक-पृथक दर्शाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा समेकित राशि का प्रकटीकरण किया जा रहा है, जिससे पृथक्करण करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुसूची-10 – अनुदान में, पूंजी मद तथा राजस्व मद के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों को अलग-अलग दर्शाया जाना आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया है।

ग. सामान्य

ग.1 संस्थान द्वारा छात्रों के साथ-साथ ठेकेदारों से भी अवधान (कॉशन), बयाना राशि एवं सुरक्षा जमा के रूप में बयाना जमा राशि (ईएमडीज) एकत्र की गई हैं। प्रबंधन द्वारा जमा प्राप्तियों को संबंधित अवधान-राशि, किए गए वापसी, जब्ती अथवा संविदात्मक दायित्व/जमानत (गारंटी) अवधि की समाप्ति की तिथियों से जोड़ने वाला कोई समग्र एवं समन्वित ईएमडी रजिस्टर संधारित नहीं किया गया है।

इस प्रकार के अभिलेखों के अभाव में, संस्थान तीन वर्षों से अधिक अवधि तक अप्राप्त पड़ी ईएमडी शेष राशियों की पहचान करने में सक्षम नहीं रहा है तथा ऐसी देनदारियों के किसी भी प्रकार के वापसी समायोजन (राइट-बैक) /प्रत्यावर्तन (रिवर्सल) को वित्तीय विवरणों में अभिलेखित नहीं किया गया है।

ग.2 लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विश्वविद्यालय की पुस्तकों में ₹ 0.39 करोड़ की वैधानिक देनदारियाँ दो वर्षों से अधिक अवधि से लंबित हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

वैधानिक देयों का नाम	बकाया राशि (₹) करोड़ में
जीएसटी टीडीएस	0.03
एनपीएस – कर्मचारी अंशदान	0.31
एनपीएस – नियोक्ता अंशदान	0.00
वस्तु एवं सेवा कर	0.01
भविष्य निधि	0.04
टीडीएस 194J के अंतर्गत (यु/एस)	0.00
कुल राशि	0.39 करोड़

पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद, इन देनदारियों का न तो निपटान किया गया है और न ही उनका वापस समायोजन (रिटर्न-बैक) किया गया है। बिना किसी उपयुक्त कार्रवाई के ऐसी शेष राशियों को लंबे समय तक बनाए रखना वैधानिक समय-सीमाओं के अनुपालन में कमी को दर्शाता है तथा संबंधित प्राधिकरणों द्वारा ब्याज, दंड अथवा दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह विश्वविद्यालय की वित्तीय अनुशासन व्यवस्था एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

ग.3 झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), रांची के खातों के वित्तीय लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियों का एक बड़ा भाग लंबी अवधि से असमायोजित या अप्राप्त बनी हुई है। लंबित समायोजनों का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	राशि (₹) करोड़ में
जमा (क्रेडिट) शेष (कर्मचारियों से शुद्ध प्राप्त)	(0.11)
पूर्ण समायोजन देय	0.24
एक वर्ष से अधिक समय से कोई गतिविधि नहीं	0.09
दो वर्ष से अधिक समय से कोई गतिविधि नहीं	0.16
पिछले 2 वर्षों से कोई वसूली नहीं	0.03
कुल बकाया शेष राशि	0.41

ऐसी दीर्घकाल से लंबित शेष राशियाँ कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी में कमजोरी को दर्शाती हैं तथा विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

घ. प्रबंधन पत्र

वे कमियाँ जो इस मसौदा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन :

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: विश्वविद्यालय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित क्षेत्रों में कमियाँ परिलक्षित हुईं:-

- प्रबंधन में नियंत्रण और वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन का अभाव है क्योंकि ये केवल विश्वविद्यालय के कुलपति के पास ही निहित हैं।
- विश्वविद्यालय में दिन-प्रतिदिन के कामकाज और प्रगतिरत कार्यों से संबंधित कोई एमआईएस रिपोर्टिंग प्रणाली मौजूद नहीं है।
- लेनदारों (क्रेडिटर्स) के लिए नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था और संबंधित पक्षों से लिए गए देनदारों/ऋणों एवं अग्रिमों की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी।
- पूर्व-भुगतान किए गए व्ययों और आय को उचित शीर्षकों के अंतर्गत पहचानने और दर्ज करने के लिए पर्याप्त जाँच और मिलान की व्यवस्था नहीं थी।

- वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सुधार हेतु पुराने बकाया खाता शेषों की समीक्षा हेतु कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की गई है।
- लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए पर्याप्त बैकअप तंत्र बनाए जाने चाहिए।

(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग की स्थापना नहीं की गई है। एक प्रोफेसर को आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रभारी बनाया गया है और आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य केवल चुनिंदा फाइलों की जाँच और खरीद प्रक्रिया तक ही सीमित है। कोई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। इसके अलावा, कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं की गई है। वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करने और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए एक सीए फर्म को नियुक्त किया गया है।

(iii) अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

नवीनतम अचल संपत्ति सत्यापन कार्य 31.03.2024 को किया गया था और सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है; विश्वविद्यालय ने अभी तक निष्कर्षों की जाँच के लिए एक समिति का गठन नहीं किया है। परिणामस्वरूप, रिपोर्ट में पहचानी गई उन संपत्तियों पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है जिनके लिए लेखांकन उपचार, जैसे कि क्षति, बट्टे खाते में डालना, या पुनर्वर्गीकरण, की आवश्यकता है।

(iv) भंडार (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष के दौरान भंडार (इन्वेंट्री) का भौतिक सत्यापन किया। हालाँकि, भौतिक सत्यापन और भंडार (इन्वेंट्री) मदों की पहचान पूरी होने के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अपने वित्तीय विवरणों में समापन भंडार (इन्वेंट्री) को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी है।

(v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता:

संस्था अपनी अर्जित राशि (अक्क्रुअल्स) में से वर्तमान अवधि के दौरान उत्पन्न निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। तथापि, हमने देखा कि विश्वविद्यालय अभी तक अपने खातों में दर्ज पुराने बकाया वैधानिक देयों को समाप्त नहीं कर पाया है, जैसा कि उपरोक्त पैरा च.3 में रिपोर्ट किया गया है।

इन पूर्ववर्ती (लिगेसी) बकाया राशियों की देयता की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने के लिए उचित समीक्षा और मिलान आवश्यक है।

छ. अनुदान सहायता : [अनुसूची 3ग- ₹11.39 करोड़ एवं अनुसूची 10 - शून्य]

विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से कुल ₹ 79.61 करोड़ (पूंजी (योजना) ₹ 11.61 करोड़; और राजस्व ₹ 68 करोड़) करोड़ राशि का अनुदान प्राप्त हुआ ।

खातों की पुस्तकों के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि¹ ₹ 12.98 करोड़ थी, (पूंजी योजना) ₹ 11.29 करोड़, और राजस्व ₹ 1.69 करोड़।

इस प्रकार, संस्थान का कुल कोष ₹ 92.59 करोड़ था (पूंजी ₹ 22.90 करोड़ और राजस्व ₹ 69.69 करोड़)।

इसमें से संस्थान ने कुल ₹ 76.03 करोड़ का उपयोग किया (पूंजी ₹ 9.01 करोड़ और राजस्व ₹ 67.02 करोड़)।

वहीं, अप्रयुक्त शेष राशि के कारण संस्थान ने ₹ 5.17 करोड़ (पूंजी ₹ 2.50 करोड़ और राजस्व ₹ 2.67 करोड़) की वापसी भी की।

इस प्रकार, ₹ 11.39 करोड़ का अप्रयुक्त शेष² बचा (पूंजी ₹ 11.39 करोड़ और राजस्व ₹ शून्य)।

पुनर्जागरण

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (लखनऊ)

¹ पिछले वर्ष का अप्रयुक्त शेष राशि एसएआर के अनुसार पूंजी के लिए ₹13.01 करोड़ और राजस्व के लिए ₹0.72 करोड़ थी, कुल मिलाकर ₹13.73 करोड़। इस प्रकार, एसएआर और खातों की पुस्तकों के बीच -0.75 करोड़ (पूंजी (योजना) ₹-1.72 करोड़ और राजस्व ₹0.97 करोड़) का अंतर है । यह मुख्यतः एसएआर के नकद और प्रोद्भवन (एक्रुअल) आधार पर तैयार किए जाने के कारण हुआ अंतर है।

²अप्रयुक्त शेष राशि का निर्धारण वार्षिक खातों और पिछले वर्ष के एसएआर से किया गया है।



INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

O/o the Principal Director of Audit (Central), Lucknow

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) लखनऊ का कार्यालय

Branch office Ranchi, Jharkhand

शाखा कार्यालय राँची

संजय कुमार

प्रधान निदेशक (केंद्रीय)

प्रिय मैडम

वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), राँची के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षा किया गया है और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पत्र संख्या 95 दिनांक: 18.12.2025 के माध्यम से जारी की गई है। लेखापरीक्षा के दौरान, कुछ कमियाँ देखी गईं जो अपेक्षाकृत छोटी प्रकृति की हैं और इसलिए उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है।

इन्हें सुधारात्मक एवं उपचारात्मक कार्रवाई हेतु आपके ध्यान में लाया जा रहा है।

प्रो. क्षिति भूषण दास
कुलपति,
झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे),
चेरी मनातू
राँची, पिन - 835222।

आपका

संजय कुमार

एमएल.1

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अप्रयुक्त ऋण राशि पर अर्जित ब्याज, जो कि वापसी योग्य है, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय ने उक्त एचईएफए (हेफा) ऋण से संबंधित अनुदान अग्रिम के अंतर्गत अनुसूची-3 — वर्तमान देयताएँ में ₹73.31 करोड़ में से ₹73.19 करोड़ की देयता दर्शाई है। तथापि, सहायक अभिलेखों एवं मिलान विवरणों के सत्यापन पर यह पाया गया कि देयता ₹70.80 करोड़ मूलधन की वापसी (अब तक पूंजीकृत संपत्तियों को घटाकर) तथा ₹3.19 करोड़ (₹1.84 करोड़ + ₹1.35 करोड़) वापसी योग्य ब्याज के रूप में होनी चाहिए थी, जो कुल ₹73.99 करोड़ होती है।

अतः वर्तमान देयता ₹0.80 करोड़ से कम दर्शाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी कोष उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया है।

एमएल.2

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), रांची के खातों के वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनुसूची-3 क “विविध देनदार (क्रेडिटर्स) माल एवं सेवाओं हेतु” को ₹0.20 करोड़ की डेबिट शेष राशि को घटाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें ₹ 0.09 करोड़ की सुरक्षा जमा तथा ₹0.11 करोड़ की वे भुगतान शामिल हैं, जो विक्रेताओं को किए गए हैं, जिनका व्यय अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त उपचार के कारण अनुसूची-3 क — विविध देनदार (क्रेडिटर्स) माल एवं सेवाओं हेतु ₹0.20 करोड़ से कम दर्शाए गए हैं; अनुसूची-8 — ऋण, अग्रिम एवं जमा — जमा ₹ 0.09 करोड़ से कम दर्शाए गए हैं; तथा निम्नलिखित मदों के अंतर्गत व्यय कम दर्शाया गया है: अनुसूची-17 — प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय — विधिक व्यय ₹0.0015 करोड़; अनुसूची-15 — कर्मचारी भुगतान एवं लाभ — मानदेय ₹ 0.0001 करोड़; अनुसूची-15 — कर्मचारी भुगतान एवं लाभ — चिकित्सीय सुविधा ₹0.0087 करोड़; तथा अनुसूची-22 — पूर्व अवधि व्यय ₹0.10 करोड़।”

इसके परिणामस्वरूप अनुसूची-1 — समग्र (कॉर्पस)/पूँजी निधि (आय और व्यय खाते से हस्तांतरित व्यय से अधिक आय) ₹0.11 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।

एमएल.3

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), रांची के खातों के वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 2023 से पूर्व के वित्तीय वर्षों में ₹4.00 करोड़ की प्रतिबद्ध व्यय हेतु प्रावधान का मान्यता प्राप्त किया गया था। इसमें से ₹3.83 करोड़ का भुगतान/समायोजन आगामी वर्षों में कर दिया गया है। तथापि, ₹0.17 करोड़ की राशि अभी तक अपूर्ण/अवैतनिक है।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1.488 करोड़ का प्रावधान प्रतिबद्ध व्यय हेतु किया गया था, जिसमें से ₹1.483 करोड़ का भुगतान/समायोजन पश्चातवर्ती अवधियों में कर दिया गया है तथा ₹0.005 करोड़ की राशि अभी तक अवैतनिक है।

यह देखा गया कि संपूर्ण प्रावधानित राशि को संबंधित वर्षों में अनुदान उपयोग के रूप में माना गया, जबकि कुछ राशि अभी तक संबंधित लाभार्थियों को भुगतान नहीं की गई है। इस प्रकार का उपचार संबंधित वित्तीय वर्षों में व्यय तथा अनुदान उपयोग को अधिक दर्शाता है।

लेखा परीक्षा की तिथि तक विश्वविद्यालय द्वारा अवैतनिक प्रावधानित राशियों का न तो मिलान किया गया है और न ही उन्हें वापस लिखा (राइट-बैक) गया है। इस मिलान के अभाव के कारण अनुसूची-3 — वर्तमान देयताएँ एवं व्यय हेतु प्रावधानों — प्रावधानों — अन्य (प्रतिबद्ध व्यय एवं अपूर्ण दावों हेतु प्रावधान) के अंतर्गत ₹0.17 करोड़ की देयता अधिक दर्शाई गई है।

एमएल.4

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे), रांची के 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों की वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कुछ संपत्तियाँ, जिनकी व्यक्तिगत लागत ₹2,000 या उससे कम थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लेखांकन दिशानिर्देशों के विपरीत, अचल संपत्ति रजिस्टर में पूंजीकृत किया गया है।

समीक्षा करने पर हमने पाया कि ₹ ₹0.26 करोड़ के लिखित अवशिष्ट मूल्य वाली (डब्ल्यूडीवी) संपत्तियों, जिनकी व्यक्तिगत लागत ₹ 2,000 तक थी, को उपरोक्त नीति के अनुसार 100% मूल्यहास के साथ व्यय करने के बजाय पूंजीकृत किया गया।

ऐसी लघु मूल्य वाली संपत्तियों का सारांश इस प्रकार है:-

क्र.	परिसंपत्ति का प्रकार	वस्तुओं की संख्या	परिसंपत्तियों का लिखित अवशिष्ट मूल्य (डब्ल्यूडीवी) की राशि (₹ करोड़ में)
1	श्रव्यदृश्य- (ऑडियोवीजुअल-) उपकरण का	33	0.0009
2	विद्युत स्थापना एवं उपकरण का	2,893	0.23
3	फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग का	210	0.014
4	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण का	339	0.013
5	संयंत्र एवं मशीनरी	101	0.0025
	कुल	3,576	0.2604

इसके परिणामस्वरूप अनुसूची 4 अचल परिसंपत्तियाँ - मूर्त संपत्तियाँ - अधिक दर्शाई गई हैं और उसी अनुसूची के अंतर्गत मूल्यहास कम दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, अनुसूची-1 समग्र (कॉर्पस)/पूँजीगत निधि - आय और व्यय खाते से हस्तांतरित व्यय से अधिक आय - को ₹0.26 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।

एमएल.5

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे) के अभिलेखों के वित्तीय लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, विश्वविद्यालय ने रांची के चेरी मनातू परिसर में निर्माणाधीन भवनों के संरचनात्मक और सुरक्षा लेखापरीक्षा हेतु आईआईटी रुड़की को ₹0.36 करोड़ का भुगतान किया। यह राशि अनुसूची 4 - अचल संपत्तियों के अंतर्गत पूँजीगत कार्य-प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) में दर्ज / अभिलेखित की गई थी।

इसके बाद, हमने देखा कि सहमति किए गए कार्य के दायरे का निष्पादन न होने के कारण आईआईटी रुड़की द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान ₹0.29 करोड़ की राशि वापस कर दी गई।

चूंकि यह वापसी राशि अप्रदत्त सेवाओं से संबंधित है, अतः ऐसी लागतें पूँजीकरण के योग्य नहीं हैं। तथापि, खातों की पुस्तकों में सीडब्ल्यूआईपी की लागत को कम करने तथा वापसी राशि को, आवश्यकता अनुसार, देयता या आय के रूप में मान्यता देने हेतु कोई समायोजन नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप अनुसूची-4 — अचल संपत्तियाँ — सीडब्ल्यूआईपी ₹0.29 करोड़ से अधिक दर्शाई गई है तथा अनुसूची-3 — वर्तमान देयताएँ — विविध देनदार (क्रेडिटर्स) भी समान राशि से अधिक दर्शाए गए हैं, क्योंकि वापसी राशि का समुचित लेखांकन नहीं किया गया है। इससे वित्तीय विवरणों में संपत्ति एवं देयता शेष राशि का त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति हुई है, जो लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं है।

एमएल.6

निर्धारित वित्तीय विवरण प्रारूपों एवं लेखांकन मानकों से विचलन

(i) रसायन, काँच सामग्री आदि उपभोज्य वस्तुओं से संबंधित भंडार (इन्वेंटरी) की बुकिंग न किया जाना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को रसायनों, काँच सामग्री, प्रकाशनों एवं अन्य भंडार सामग्री की खरीद पर हुए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित करना होता है। तथापि, 31 मार्च को उपलब्ध समापन भंडार का मूल्य को भंडार (इन्वेंटरी) के रूप में मान्यता प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जिससे संबंधित राजस्व व्यय में कमी होती है। इस भंडार का मूल्य लागत पर किया जाना चाहिए, जो संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हो, जैसा कि दिशानिर्देशों के पृष्ठ 46 के बिंदु 5 में उल्लिखित है। खातों की पुस्तकों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रसायनों, काँच सामग्री आदि उपभोज्य वस्तुओं से संबंधित भंडार का लेखांकन नहीं किया गया

है। यह निर्धारित लेखांकन उपचार का अनुपालन न होने के कारण राजस्व व्यय अधिक तथा संपत्तियाँ कम दर्शाई गई हैं, जिससे वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति प्रभावित होती है।

एमएल.7

लेखांकन मानक (एस)-15 के अनुसार संस्थान को सेवानिवृत्ति लाभों का विस्तृत प्रकटीकरण खातों की टिप्पणियों में देना आवश्यक है।



निदेशक (केन्द्रीय)